छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

RNI Reg. No.-CHHHIN/2009/36148
डाक पंजीयन क्र.-45/Surguja Dn/2024-26

वर्ष - 17 ■ अंक - 172 ■ अम्बिकापुर, शुक्रवार 03 जुलाई 2026 पृष्ठ -8■ मूल्य - 1 रूपये

WWW.cgfrontline.com

मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है सरकारः विष्णुदेव साय

गुड गवर्नेंस के लिए होगा दो दिवसीय चिंतन शिविर

छ.ग.फ्रंटलाइन रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मानसून में देरी को लेकर हो रही किसानों की परेशानी को लेकर कहा है कि सरकार किसानों के साथ है.किसानों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सीएम ने कहा कि जिस तरीके से मौसम इस बार का है उसे लेकर कृषि विभाग किसानों से लगातार जानकारी साझा कर रहा है, हर तरह के प्रचार-प्रसार भी हम कर रहे हैं।

सीएम ने कहा कि किसान मौसम के अनुसार अपनी खेती की तैयारी करें। मानसून थोड़ा कमजोर है इसे लेकर सरकार भी चिंतित है कि किसानों को किस तरीके से सहायता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी कार्ययोजना भी तैयार हो रही है। छत्तीसगढ़ में चल रही सरकार जनहितैषी सरकार है,

उसमें कार्यप्रणाली को और व्यवस्थित करने के साथ ही गुड गवर्नेंस को सुधार करने के लिए छत्तीसगढ़ में दो दिवसीय राज्य मंत्रिमंडल की चिंतन शिविर का आयोजन 5 जुलाई को किया जाएगा।

योजनाओं को गति देने विद्वानों के विचार जरुरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन केंद्रित योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरीके से किया जाए कि उसे ज्यादा गति मिल सके, इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल होती है। शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली और उसको लेकर होने वाले सामाजिक परिवर्तन में किस तरह की योजना होनी चाहिए, इस पर विषय विशेष के विद्वानों के विचार और अनुभव काफी महत्वपूर्ण होते हैं, जो सरकार के कामकाज में मार्गदर्शन की भूमिका अदा करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में गुड गवर्नेंस को और मजबूत करने में इस तरह के चिंतन शिविर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली गुड गवर्नेंस को और मजबूत करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल होती है।

कृषि पंप कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली, लाइनमैन निलंबित

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कृषि पंप विद्युत कनेक्शन एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग द्वारा लाइनमैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत महारानीपुर (देऊरपारा) बेलडांड़ के किसानों द्वारा शिकायत की गई थी कि राजापुर वितरण केंद्र में पदस्थ लाइनमैन चन्द्रकुमार सिदार द्वारा सिंचाई के लिए कृषि पंप विद्युत कनेक्शन एवं ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर 7 हजार रुपये तथा उससे अधिक की राशि वसूल रहे हैं। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए। जांच रिपोर्ट में सामने आया कि परि. श्रेणी-1 (ला.) चन्द्रकुमार सिदार ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए महारानीपुर के देऊरपारा एवं चिड़ापारा के ग्रामीणों से कृषि पंप कनेक्शन के नाम पर अवैध रूप से राशि की वसूली की है। कार्यपालन यंत्री (सं/सं) संभाग अंबिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के प्रावधानों के उल्लंघन एवं कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने पर चन्द्रकुमार सिदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय बलरामपुर वितरण केंद्र होगा।

मूसलाधार बारिश के बीच शहर के कई प्रमुख मार्ग तालाब में तब्दील हुये

मानसून पूर्व नालियों की सफाई और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सवालों के घेरे में

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई प्रमुख मार्ग जलमग्न हो गए, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे नगर निगम के द्वारा जल निकासी के लिये की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। बनारस रोड, सत्तीपारा रोड, चौपाटी समेत कई इलाकों में सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं और आवागमन प्रभावित होने की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर नालियों की सफाई नहीं होने के कारण वर्षा का पानी सड़कों पर भर गया। कई

स्थानों पर जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से घंटों पानी जमा रह गया। लोगों का आरोप है कि मानसून पूर्व नगर निगम द्वारा नालों की सफाई और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य प्रभावी ढंग से नहीं कराया गया, जिसका खामियाजा जुलाई माह के शुरूआत में हुई तेज बारिश के बीच शहरवासियों को भुगतना पड़ा।

छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट के बीच अंबिकापुर में 29.6 मिमी वर्षा

मौसम वैज्ञानिक एसके मंडल ने बताया कि जून मानसून सक्रिय नहीं रहा। मानसून समय पर आया, पर कमजोर होने के कारण बारिश नहीं हुई। जून महीने में मात्र 109 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि जून महीने का औसत बारिश लगभग 200 मिमी है। यानी जून महीने में औसत से 50 प्रतिशत बारिश हुई है। मौसम वैज्ञानिक का मानना है कि जुलाई का महीना शुरू होते ही मानसून सक्रिय दिखाई दे रहा है। गुरुवार को उत्तरी छत्तीसगढ़ में ऑरेंज अलर्ट के बीच अंबिकापुर में 29.6 मिमी बारिश दर्ज की गई है। आने वाले दिनों में उत्तरी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की संभावना है।

मानसून कुछ कमजोर रहने की संभावना

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि, पूर्व में जारी मौसम पूर्वानुमानों के अनुसार इस वर्ष मानसून सामान्य की तुलना में कुछ कमजोर रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि मानसून की सक्रियता में समय-समय पर कमी देखी जा सकती है, जिससे कुछ क्षेत्रों में औसत से कम वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि, मौसम की स्थिति में लगातार बदलाव होते रहता है, इसलिए आगामी दिनों में बनने वाली मौसमी प्रणालियों के आधार पर वर्षा की स्थिति में परिवर्तन भी संभव है।

औसत से करीब 50 प्रतिशत कम बारिश दर्ज

सरगुजा संभाग में जून महीने में मानसून सक्रिय नहीं होने से औसत से करीब 50 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है। जुलाई माह में मानसून की गति थोड़ा बढ़ी है। पिछले दो दिनों से रूक-रूक बारिश हो रही है। सरगुजा संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में धान बोआई का कार्य भी शुरू हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मानसून की स्थिति बेहतर नहीं बताई जा रही है, इससे किसानों की चिंतित हैं। इधर किसान खरिफ फसल की तैयारी में जुट गए हैं।

बोरियों में भरकर पुट्टू ला रहे व्यापारी

बोली में खरीद रहे कोचिये

ग्रामीण विक्रेता फुटकर में 800 से 1000 रुपये किलो बेच रहे

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। पहली बारिश के साथ ही सरगुजा के जंगलों से 'पुट्टू' की आवक शुरू हो गई है, बाजार में इसके दाम सुनकर सबके होश उड़ रहे हैं। इसके बाद भी खाने के शौकीन मिट्टी में सने पुट्टू को खरीदने के लिये छांटते नजर आ रहे हैं। अभी सीजन की शुरुआत है, इसलिए पुट्टू की आवक कम है, और बाजार में इसका भाव 800 से 1000 रुपये प्रति किलो है। जंगल से पुट्टू लेकर आने वाले ग्रामीणों की तो चांदी है, लेकिन इनकी पहुंच शहर तक नहीं हो पा रही है। व्यापारी इनके घरों से ही औने-पौने दामों में पुट्टू खरीदकर मंडी की भांति बोली लगवा रहे हैं। इसके बाद फुटकर विक्रेता एक भाव तय करके पुट्टू की बिक्री कर रहे हैं।

बता दें कि, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मानसूनी बारिश की पहली फुहार के बाद थोक में पुट्टू लेकर व्यापारी पहुंचने लगे हैं। शहर के आकाशवाणी चौक के पास स्थित पौनी पसारी बाजार में अलसुबह से ही पुट्टू की बोली लगाने के लिये कोचिये सक्रिय हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि गुरूवार को लगी बोली में पुट्टू का भाव 550 रुपये तक पहुंचा। कुछ कोचिये पुट्टू की पूरी बोरी थोक भाव में खरीदने के बाद ग्रामीण महिला-पुरूषों को चिल्हर में बेचने के लिये थमा दिये। यहीं से पुट्टू का भाव बढ़ना शुरू होता है और लगभग डेढ़ से दो गुना अधिक दाम में इसकी बिक्री होने लगती है। गुरूवार को आकाशवाणी चौक में काफी पुट्टू विक्रेता नजर आये। कोई इनके पास से पुट्टू का दाम पूछकर निकल लेता तो कोई मिट्टी से सने पुट्टी को छांटने लगता। भरी बारिश के बीच यहां के बाजार का

नजारा ही बदल गया। हरी सब्जियों की जगह बोरियों में पुट्टू लेकर बैठे ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों की तादाद ज्यादा देखने को मिल रही थी। हालांकि जंगलों से निकलकर आने वाला यह पुट्टू सब्जी आम आदमी थाली से फिलहाल दूर रहेगा।

ग्रामीणों की आजीविका है साधन

पुट्टू जंगल से मिलने वाला प्राकृतिक उत्पाद हैं, लेकिन इसका स्वाद लेने के लिये लोग लालायित रहते हैं। बरसात के मौसम में सरगुजा के आदिवासी और ग्रामीण जोखिम के बीच पुट्टू के संग्रहण में लग जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह उनकी आजीविका का साधन भी है। लम्बे समय से इस कारोबार में लगे व्यापारी ग्रामीणों के संपर्क में रहते हैं, और इनसे औने-पौने दामों में सौदा करके इसे शहर तक ले आते हैं। वाहनों में बोरियों में भरकर मंडी बाजार तक पुट्टू लेकर आने वाले लोगों का महज दो से तीन घंटे में लाखों का कारोबार हो जाता है। ये बात अलग है कि छोटे विक्रेता घंटों ग्राहकों के आने-जाने के बीच देर शाम चौराहे पर बैठकर बिताते हैं।

कलयुगी पुत्र ने मां पर डंडे और टांगी से जानलेवा हमला किया

छ.ग.फ्रंटलाइन बलरामपुर। जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम तिकोदिरी में एक कलयुगी बेटे ने मामूली घरेलू बात पर अपनी ही मां पर डंडे और टांगी से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल महिला का उपचार रामानुजगंज के 100 बिस्तर अस्पताल में जारी है।

जानकारी के अनुसार, ग्राम तिकोदिरी निवासी कमला देवी 62 वर्ष ने बरसात शुरू होने के कारण अपने पुत्र संतोष रजक 40 वर्ष से घर का खपड़ा छाने के लिए कहा था। मां की यह बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी कि वह आपा खो बैठा। गुस्से में पहले उसने डंडे से मां की बेरहमी से पिटाई की और फिर टांगी से हमला कर दिया। इस हमले में कमला देवी के सिर, हाथ और कमर में गंभीर चोटें आई हैं। स्वजन ने घायल महिला को तत्काल रामानुजगंज के 100 बिस्तर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। परिजनों का कहना है कि संतोष का हिंसक व्यवहार पहले भी सामने आ चुका है। वह पूर्व में भी अपनी मां और पिता पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था।

छोटा पुत्र जान बचाने डेढ़ किमी दौड़ लगाया

बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलने पर छोटा बेटा अजीत अपनी मां को बचाने पहुंचा, लेकिन आरोपी संतोष टांगी लेकर उसके पीछे भी दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए अजीत को करीब डेढ़ किलोमीटर तक भागना पड़ा और जंगल में छिपकर अपनी जान बचाया।

सिंचाई विभाग का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार, जीपीएफ का पैसा निकालने के लिए मांगा घूस

छ.ग.फ्रंटलाइन दुर्ग। विद्युत यांत्रिकी सिंचाई विभाग में पदस्थ बाबू को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते एसीबी ने गिरफ्तार किया। आरोपी बाबू विभाग में सहायक ग्रेड टू के पद पर कार्यरत है। आरोप है कि शिव कुमार ठाकुर ने कर्मचारी के जीपीएफ की राशि जारी करने के एवज में घूस की मांग की, इसकी शिकायत पीड़ित ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की, इसके बाद आरोपी बाबू को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।

पीड़ित कर्मचारी नंद कुमार सिंचाई विभाग में पदस्थ है, और उसकी बेटी की शादी तय हो गई है। बेटी की शादी के लिए उनको 5 लाख की जरुरत थी। इसके लिए उन्होंने विभाग को आवेदन दिया था। आवेदन में नंद कुमार ने कहा था कि उनको 5 लाख की रकम की जरुरत है, जिसे वे अपनी सामान्य भविष्य निधि यानी जीपीएफ से निकालना चाहते हैं। आरोप है कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर राशि जारी करने के बदले सहायक ग्रेड-2 शिव कुमार ठाकुर ने 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। पीड़ित ने बताया कि उनकी बेटी की शादी तय हो चुकी है और उन्हें तत्काल पैसों की आवश्यकता थी, लेकिन रिश्वत की मांग के कारण वे लंबे समय से परेशान थे। पीड़ित ने आरोपी कर्मचारी से कहा कि उनके पास रिश्वत देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, लेकिन आरोपी बिना पैसे लिए जीपीएफ का पैसा जारी करने को राजी नहीं हुआ।

एसीबी की टीम योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की

शिकायत की जांच के बाद एसीबी ने योजना बनाकर कार्रवाई की। तय रणनीति के तहत शिकायतकर्ता ने आरोपी को कार्यालय में 10 हजार रुपये दिये, तभी पहले से वहां मौजूद एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़ लिया। कार्रवाई के दौरान एसीबी के एक दर्जन से अधिक अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। एसीबी की टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है।

विरोध करते रहे ग्रामीण, आपत्तियों की अनदेखी करके चलती रही जनसुनवाई

पूर्व मंत्री और अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने प्रशासन के रवैये को सवालों के घेरे में लिया

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर/मैनपाट। तहसील मैनपाट के ग्राम सरभंजा में प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना के संबंध में आयोजित जनसुनवाई का स्थानीय ग्रामीणों एवं आदिवासी समाज ने भारी संख्या में उपस्थित होकर जोरदार विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि ग्राम सभा की पूर्व अनुमति एवं सहमति के बिना आयोजित यह जनसुनवाई पूरी तरह असंवैधानिक, गैर-कानूनी तथा आदिवासी समाज के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इस दौरान उपस्थित अपर कलेक्टर पर जनता की आपत्तियां नहीं सुनने का भी आरोप लगा। ग्रामीणों ने कहा जनसुनवाई के नाम पर औपचारिकता निभाई जा रही है।

बारिश के बीच जनसुनवाई में पहुंचे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और छत्तीसगढ़ राज्य अजजा आयोग के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक भानु प्रताप सिंह ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी परियोजना को लागू करने से पहले ग्राम सभा की स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति, लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था की मूल भावना है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 244, पांचवीं अनुसूची, पेसा अधिनियम, 1996, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 तथा संविधान का अनुच्छेद 275 अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य केवल विकास करना नहीं, बल्कि आदिवासी समाज की भूमि, जल, जंगल, संस्कृति, परंपरा और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

आपत्तियां लेने से इंकार करने का आरोप

भानु प्रताप सिंह ने कहा कि, ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्रों में सर्वोच्च लोकतांत्रिक संस्था है। उसकी अनुमति के बिना आयोजित कोई भी जनसुनवाई कानून और संविधान की भावना के विपरीत है। प्रशासन यदि ग्राम सभा को दरकिनार करके निर्णय लेता है तो यह केवल प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं, बल्कि आदिवासी समाज के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। उन्होंने अपर कलेक्टर से बाहर आकर ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत आवेदन, आपत्तियां एवं ज्ञापन स्वीकार करने का आग्रह किया, ताकि प्रभावित लोगों की बात विधिवत अभिलेख में दर्ज हो सके, किंतु उन्होंने इंकार कर दिया। प्रशासन के इस रवैये को उन्होंने प्राकृतिक न्याय, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के सिद्धांतों के विपरीत करार दिया। उन्होंने कहा लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाकर विकास नहीं किया जा सकता। ग्राम सभा की सहमति के बिना किसी भी खनन परियोजना को आगे बढ़ाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। उन्होंने ग्राम सरभंजा की जनसुनवाई को तत्काल निरस्त करने की मांग प्रशासन से की है, और ग्राम सभा की स्वतंत्र सहमति प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की खनन गतिविधि या परियोजना को आगे नहीं बढ़ाने का आग्रह किया है।

आपसी विवाद में गैंता से हमला करके साथी की कर दी हत्या

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। लुण्ड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम बरगीडीह में एक ग्रामीण ने अपने साथी की अज्ञात कारणों से गैंता से हमला करके हत्या कर दी। अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी के मुताबिक, बरगीडीह राईखुर्द निवासी जीतू नागेश पिता सोमारू नागेश 45 वर्ष, घर में था और उसके परिवार के सदस्य धान की रोपाई करने के लिये खेत की ओर गये थे। जीतू का पड़ोस में रहने वाले बुधराम के साथ रोजाना उठना-बैठना और पीना-खाना होता था। गुरूवार को जीतू पड़ोसी बुधराम के घर में पास गया, इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति बनी और देखते ही देखते आवेशित होकर बुधराम ने अपने साथी जीतू पर गैंता से हमला कर दिया, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया। घटना को अंजाम देने के बाद बुधराम ने स्वयं आसपास के लोगों को बताया कि वह जीतू को मार दिया है, अब जेल जायेगा। इसके बाद वह घर जाकर सो गया था। इसकी जानकारी जब स्वजन को मिली तो वे हत्यारोपी बुधराम के पुत्र सहित अन्य के साथ जीतू को लेकर मेडिकल कॉलेज संबद्ध जिला अस्पताल अंबिकापुर पहुंचे, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।

(बालाजी क्लीनिक)
मद्रासी दवाखाना
Reg. No. Cg03026 ISO 9001: 2015 CERTIFIED

बादी एवं खूनी बवासीर, नासूर, भगंदर, फीसर एवं कांच (गुदा) का क्षार सूत्र से, एवं आंतों की बीमारियों जैसे पेट का भारीपन, गैस, कब्ज, पुरुष और स्त्री के गुप्त रोगों का आयुर्वेदिक उपचार किया जाता है।

डॉ. के.एम. राव
एम.एस.(आयु) शल्य
भूतपूर्व प्राध्यापक शल्य विभाग
शासकीय आयुर्वेद कॉलेज अहमदाबाद

समय :- सोमवार से शनिवार, सुबह 10 से 2, शाम 6 से 7:30
रविवार सुबह 10 से 2, शाम को बंद रहेगा

बिलासपुर रोड, बिलासपुर चौक, अम्बिकापुर मो. 90099-56307

प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रमाणपत्र नहीं, रोजगार और आत्मनिर्भरता हो : कलेक्टर

★ कलेक्टर ने आरसेटी एवं संगवारी जेंडर संसाधन केन्द्र का किया निरीक्षण ★ कौशल विकास को रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर ★ बहु-कौशल प्रशिक्षण से आत्मनिर्भर बनेंगे युवा और महिलाएं ★ स्थानीय उत्पादों को पहचान देने विशेष रेस्टोरेंट की बनेगी कार्ययोजना ★ प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके राजमिस्त्रियों को टूलकिट वितरित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) एवं संगवारी जेंडर संसाधन केन्द्र का निरीक्षण कर वहां संचालित प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण का उद्देश्य केवल कौशल सिखाना नहीं, बल्कि प्रशिक्षणार्थियों में ऐसा पेशेवर हुनर विकसित करना होना चाहिए, जिसके बल पर वे कहीं भी सम्मानपूर्वक रोजगार प्राप्त कर सकें। उन्होंने महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसरों के लिए सक्षम बनाने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर ने संगवारी जेंडर संसाधन केन्द्र में वहां के कार्यों की जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि जिले में वर्तमान में 42 प्रशिक्षित महिला काउंसलर कार्यरत हैं, जिनमें बलरामपुर विकासखंड में 10 महिला काउंसलर सेवाएं दे रही हैं। ये काउंसलर घरेलू हिंसा, बाल विवाह, पारिवारिक विवाद, सामाजिक प्रताड़ना, पोषण एवं स्वास्थ्य तथा अन्य विषम परिस्थितियों का सामना कर रही किशोरियों और महिलाओं को परामर्श देकर उन्हें सामान्य जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य करती हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनके सुरक्षित आवास एवं देखभाल की व्यवस्था भी केन्द्र में उपलब्ध कराई जाती है।

कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि काउंसलिंग केवल एक प्रक्रिया बनकर नहीं रहनी चाहिए। जिन महिलाओं एवं किशोरियों को परामर्श दिया जाता है, उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा अन्य आवश्यक जानकारी व्यवस्थित रूप से संधारित करें और नियमित अंतराल पर उनसे संपर्क कर यह सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग से उनके जीवन में वास्तविक सकारात्मक परिवर्तन आया है या नहीं।

इस दौरान कलेक्टर ने आरसेटी में संचालित विभिन्न रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपलब्ध आवास, भोजन, प्रशिक्षण संसाधनों तथा विभिन्न ट्रेडों की जानकारी लेते हुए प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उसके परिणामों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महिलाओं को केवल पारंपरिक प्रशिक्षण तक सीमित न रखा जाए, बल्कि उन्हें कैटरिंग, हाउसकीपिंग, फूड सर्विस के उपयोग एवं आतिथ्य प्रबंधन जैसी प्रोफेशनल स्किल्स का प्रशिक्षण भी दें, ताकि वे किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में दक्षता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी सेवाएं दे सकें।

कलेक्टर ने कहा कि जिले की स्थानीय पहचान को रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से भविष्य में ऐसा विशेष रेस्टोरेंट विकसित करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है जिसमे जिले के स्थानीय कृषि उत्पादों एवं पारंपरिक खाद्यान्नों से तैयार विशेष व्यंजन परोसे जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिले के मशहूर चांगरो चावल, कोदो, कुटकी, रागी तथा मिलेट्स सहित अन्य स्थानीय उत्पादों को पेशेवर तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि वे जिले की नई पहचान बन सके। उन्होंने इस दिशा में आवश्यक प्रशिक्षण अगस्त माह तक पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थियों से भी चर्चा करते हुए उनका परिचय, पूर्व कार्य अनुभव, आय तथा भविष्य की योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में केवल एक कौशल पर्याप्त नहीं है। राजमिस्त्री कार्य के साथ-साथ इलेक्ट्रिशियन, प्लंबिंग, एयर कंडीशनर एवं रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग जैसे तकनीकी कौशल भी सीखने चाहिए, जिससे आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें और आय में भी वृद्धि हो।

कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाए, जिससे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी एक से अधिक कौशल में दक्ष होकर आत्मनिर्भर बन सके। कलेक्टर श्रीमती त्रिपाठी ने प्रशिक्षण पूर्ण कर चुके राजमिस्त्रियों को टूलकिट वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

12 वें वेतन समझौते की मांग को लेकर संयुक्त ट्रेड यूनियनों का प्रदर्शन

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

विश्रामपुर। कोल इंडिया लिमिटेड एवं उसकी अनुषंगी कंपनियों के लाखों गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के 12 वें वेतन समझौते को लेकर अब आंदोलन तेज होता नजर आ रहा है। 11वें वेतन समझौते की अवधि समाप्त होने के बाद भी नई वेतन वार्ता समिति का गठन नहीं होने से श्रमिकों में बढ़ते असंतोष के बीच बुधवार को एसईसीएल विश्रामपुर क्षेत्र में संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने मांग दिवस मनाते हुए प्रदर्शन करते हुए क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के माध्यम से कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र वेतन समझौता लागू करने की मांग की।

गौरतलब है कि संयुक्त ट्रेड यूनियनों एटक, एचएमएस, इंटक और सीटू के संयुक्त आह्वान पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रमिकों एवं पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदर्शन के दौरान श्रमिक नेताओं ने वेतन समझौता 12 के गठन में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि वर्षों से कोयला उत्पादन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है।

सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त कोयला मजदूर संघ के केंद्रीय महासचिव अजय विश्वकर्मा ने कहा कि 11 वें वेतनमान की अवधि 30 जून को समाप्त हो चुकी है, लेकिन अब तक 12 वें वेतन समझौते के लिए जेबीसीसीआई का गठन तक नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि इससे देशभर के कोयला श्रमिकों में भारी असंतोष व्याप्त है और प्रबंधन को तत्काल वार्ता प्रारंभ कर नए वेतन समझौते की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के हितों की उपेक्षा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एटक के

व्हीसी जैन, एचएमएस के अरविंद सिंह, इंटक के अजीत यादव तथा सीटू के सुरेश पटेल ने संयुक्त रूप से कहा कि देश की ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में कोयला श्रमिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनके वेतन, भत्तों और अन्य सुविधाओं से जुड़े मुद्दों का समय पर समाधान होना चाहिए। उन्होंने मांग किया कि 12 वें वेतन समझौते की वार्ता समिति का तत्काल गठन कर समयबद्ध तरीके से समझौता लागू किया जाए।

श्रमिक नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रबंधन ने जल्द सकारात्मक पहल नहीं की तो संयुक्त ट्रेड यूनियनें चरणबद्ध और व्यापक आंदोलन शुरू करने के लिए बाध्य होंगी। कार्यक्रम का संचालन एटक के क्षेत्रीय सचिव पंकज गर्ग ने किया। प्रदर्शन के बाद क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रबंधन की ओर से स्टाफ ऑफिसर एचआर एसकेपी शिंदे, वरिष्ठ प्रबंधक एचआर राजेंद्र गुप्ता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभारी रात्रे ने संयुक्त ट्रेड यूनियनों का ज्ञापन प्राप्त किया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि ज्ञापन को शीघ्र ही कोल इंडिया के उच्च प्रबंधन तक भेजकर आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाएगा।

ज्ञात हो कि क्षेत्र में आयोजित इस मांग दिवस के माध्यम से संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि यदि 12 वें वेतन समझौते की प्रक्रिया में और विलंब हुआ तो आने वाले दिनों में कोयला उद्योग में आंदोलन और तेज हो सकता है।

बायो-मेडिकल वेस्ट के नियमों से समझौता नहीं, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई : कलेक्टर

★ जिला मुख्यालय स्थित सार्वजनिक स्थलों एवं विभिन्न संस्थानों का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण ★ स्वच्छता, सुरक्षा और बेहतर प्रबंधन पर कलेक्टर की सख्त नजर ★ सार्वजनिक परिसरों की व्यवस्थाएं बेहतर बनाने के दिए निर्देश ★ स्वच्छता दीदियों से समझी कचरे के पृथक्करण की पूरी प्रक्रिया, आय के स्त्रोतों की भी ली जानकारी

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने जिला मुख्यालय बलरामपुर के विभिन्न सार्वजनिक एवं संस्थागत परिसरों तथा अधोसंरचनात्मक कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बस स्टैंड, ऑडिटोरियम, एसआरएलएम सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर, निर्माणाधीन मांगलिक भवन एवं ऑफिसर्स क्लब का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण की शुरुआत में बस स्टैंड पहुंच कलेक्टर ने परिसर की साफ-सफाई, भवन की स्थिति, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं का जायजा लेते हुए नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। तत्पश्चात् ऑडिटोरियम भवन का निरीक्षण करते हुए वहां स्थापित एयर कंडीशनर, विद्युत व्यवस्था, पंखों एवं अन्य उपकरणों की स्थिति का अवलोकन कर आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव के लिए नगरीय प्रशासन विभाग को भेजने हेतु प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

इस दौरान कलेक्टर मुख्यालय के वार्ड क्रमांक-2 स्थित एसआरएलएम सेंटर पहुंचीं, जहां स्व-सहायता समूह की महिलाएं घर-घर से एकत्रित कचरे का पृथक्करण कर रही थीं। उन्होंने समूह की महिलाओं से संवाद कर कचरे के पृथक्करण की पूरी प्रक्रिया की जानकारी ली। महिलाओं ने बताया कि सूखा, गीला एवं अन्य अपशिष्टों को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर उनका निष्पादन किया जाता है। कलेक्टर ने वहां स्थापित मशीनों, उपकरणों तथा कचरा पृथक्करण की पूरी प्रक्रिया का भी अवलोकन किया।

निरीक्षण के दौरान मेडिकल वेस्ट के रूप में सेग्रिगेशन शेड में सिरिंज मिलने पर कलेक्टर ने गंभीरता व्यक्त की। समूह की महिलाओं ने बताया कि यह अपशिष्ट मेडिकल स्टोर्स से निकलने वाले कचरे के साथ पहुंच रहा है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल संबंधित अधिकारियों को टीम गठित कर मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करने तथा बायो-मेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक एवं नियमानुसार निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई मेडिकल प्रतिष्ठान नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई, आवश्यक होने पर लाइसेंस निरस्तीकरण की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। कलेक्टर ने सेग्रिगेशन शेड में एकत्रित प्लास्टिक, सीमेंट की खाली बोरियों तथा अन्य पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के बेहतर उपयोग पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कह कि स्थानीय कबाड़ व्यवसायियों एवं संबंधित एजेंसियों से समन्वय स्थापित कर इन सामग्रियों का व्यावसायिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

ततपश्चात उन्होंने सखी वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण कर महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता, परामर्श एवं अन्य सेवाओं की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने अधूरे मांगलिक भवन की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी अधिकारियों से लेकर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने ऑफिसर्स क्लब पहुंच परिसर में संरक्षित आदिवासी संस्कृति से जुड़े पारंपरिक आभूषणों, कृषि एवं दैनिक उपयोग के प्राचीन औजारों तथा अन्य विरासत सामग्री का अवलोकन किया। उन्होंने इन अमूल्य धरोहरों के संरक्षण पर विशेष जोर देते हुए परिसर में नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगाने तथा संग्रहित सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी(रा.) श्री अभिषेक गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री दीपक एक्का सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित थे।

उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए मदनपुर में हुआ सीमांकन

एसडीएम के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों की हुई चर्चा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

विश्रामपुर। प्रस्तावित उद्यानिकी महाविद्यालय सिलफिली के लिए भूमि सीमांकन का कार्य गुरुवार को एसडीएम, तहसीलदार व पुलिस बल की उपस्थिति में कराया गया। बताया जा रहा है कि उद्यानिकी महाविद्यालय के लिए सौ एकड़ भूमि की आवश्यकता विभागीय तौर पर जताई गई है। इस हेतु ग्राम पंचायत मदनपुर में 37 एकड़ और ग्राम पंचायत करवां में 45 एकड़ शासकीय भूमि का चिन्हांकन कर शासन द्वारा पिछले दिनों उद्यानिकी महाविद्यालय को आबंटित कर दिया गया है। मदनपुर स्थित 37 एकड़ शासकीय भूमि पर एक दर्जन से अधिक लोग वर्षों से घर बना कर उसमें निवास व कृषि कार्य करके जीवनयापन कर रहे हैं। जब से उक्त भूमि को उद्यानिकी महाविद्यालय को आबंटित की गई है तब से कब्जेदार भूमि आबंटन का विरोध कर रहे थे। बताया जा रहा है कि उद्यानिकी महाविद्यालय को भूमि आबंटन के बाद संबंधित कब्जे दारों को प्रशासन ने जनवरी 2025 में ही कब्जा हटाने के लिए नोटिस जारी किया था। ग्रामीणों के विरोध के कारण पिछले डेढ़ वर्षों से भूमि का सीमांकन नहीं हो पा रहा था।इसी बीच प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी संख्या में पुलिस बल को मौके पर तैनात कर सीमांकन का कार्य आरंभ कराया। सीमांकन कार्य कराए जाने की सूचना पर भटगांव के पूर्व विधायक व संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र यादव, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष भगवती राजवाड़े मौके पर पहुंच बारिश में सीमांकन का कार्य नहीं कराए जाने की मांग की, तो प्रशासन की ओर से सुरजपुर एसडीएम शिवानी जायसवाल ने अवगत कराया कि केवल आज भूमि का सीमांकन कार्य कराया जाना है, बेदखली की कार्यवाही बारिश के बाद होगी। जिसके बाद जनप्रतिनिधि और ग्रामीणों की उपस्थिति में पूरे दिन भूमि सीमांकन पोल खंभा लगाने का कार्य बिना किसी विवाद और अवरोध के चलता रहा।

लटोरी तहसीलदार सुरेन्द्र पैकरा ने बताया कि मदनपुर ग्राम में दो पैच में 37 एकड़ भूमि उद्यानिकी महाविद्यालय को आबंटित की गई है, वहीं ग्राम पंचायत करवां में 45 एकड़ भूमि महाविद्यालय को आबंटित किया गया है, दोनों जगहों की भूमि को मिलाकर अब तक 82 एकड़ भूमि महाविद्यालय को आबंटित की जा चुकी है, शेष 18 एकड़ भूमि महाविद्यालय को आबंटन के लिए भूमि खोजने का कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि आबंटित 82 एकड़ भूमि में कई लोग मकान बनाकर कृषि कार्य भी कर रहे हैं, जिन्हें डेढ़ वर्ष पूर्व में ही नोटिस जारी किया जा चुका है।अब उक्त आबंटित भूमि का सीमांकन कर बारिश बाद बेदखली कार्यवाही के बाद भूमि हस्तांतरण कर दिया जाएगा। भूमि सीमांकन के दौरान ग्रामीणों के विरोध की आशंका पर प्रशासन पहले से तैयारी कर मौके पर पहुंची थी। इस दौरान विभिन्न थाना चौकियों और पुलिस लाइन से बड़ी तादात में पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई थी। इसके बाद बिना संघर्ष और विवाद के प्रशासन ने सीमांकन का कार्य पूरा किया है। इस एसडीओपी अभिषेक पैकरा सहित विभिन्न थानों की पुलिस बड़ी संख्या में उपस्थित थी।

जल संरक्षण से बदली चन्द्रगढ़ की तस्वीर, चेक डेम बना किसानों की समृद्धि का आधार

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। जनपद पंचायत राजपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत चन्द्रगढ़ में जल संरक्षण के माध्यम से कृषि विकास की नई संभावनाएँ साकार हो रही हैं। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के निर्देशन तथा जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के मार्गदर्शन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कोरोना नाले पर निर्मित चेक डेम ग्रामीणों के लिए सिंचाई का सशक्त आधार बनकर उभरा है।

चेक डेम के निर्माण से क्षेत्र में जल संचयन क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे किसानों को वर्षभर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने लगा है। इस परियोजना से 10 किसानों की लगभग 3.325 हेक्टेयर कृषि भूमि पर नियमित सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है। इसके साथ ही ग्राम के 20 से 25 अन्य किसान भी अब मक्का, धान, सरसों तथा विभिन्न सब्जियों की खेती कर बेहतर उत्पादन और आय की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

सिंचाई की उपलब्धता से खेती का दायरा बढ़ा है और किसान पारंपरिक फसलों के साथ विविध फसलों की खेती अपनाने लगे हैं। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि की संभावना बनी है, बल्कि ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो रही है। जल संरक्षण पर आधारित यह पहल गांव में टिकाऊ कृषि व्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान कर रही है।

होलीक्रॉस स्कूल में सम्पन्न हुआ छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। होलीक्रॉस कॉन्वेंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 हेतु चयनित छात्र संसद का शपथ ग्रहण समारोह सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत सरगुजा विनय कुमार अग्रवाल मुख्य अतिथि की आसंदी से उपस्थित रहे। विद्यालय के गौरव बैगपाइपर बैण्ड ने मुख्य अतिथि की अगवानी की तथा मुख्य अतिथि को बैज लगाकर स्वागत किया। तत्पश्चात भक्तिपूर्ण प्रार्थना नृत्य से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विद्यालय कि शिक्षिका श्रेयांसी सिंह के स्वागत उद्बोधन एवं छात्रा अक्षिता डबराल द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। होलीक्रॉस संस्थान की सिस्टर गण, अभिभावक एवं शिक्षकों की उपस्थिति में छात्र संसद के चयनित प्रतिनिधियों को विद्यालय की प्राचार्य डॉ. सि. जेस्सी द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस प्रकार विद्यालय के अध्यक्ष पद पर अमोघवर्ष पाण्डेय और अम्बिका सिंह, उपाध्यक्ष पद के लिए आकर्ष सिंघल एवं शाम्भवी सिंह, सचिव पद के लिए सिद्धि विद्या, सहसचिव पद के लिए आलिन्द अग्रवाल शपथ लिए। दीप प्रज्ज्वलन के साथ कार्यक्रम की गरिमामय शुरूआत हुई। सबसे पहले मंच पर मुख्य अतिथि और प्राचार्य जेस्सी द्वारा बैज और सैश पहनाकर छात्र प्रतिनिधियों को अलंकृत किया गया। इसके बाद सभी छात्र प्रतिनिधियों को बैज लगाकर उन्हें जिम्मेदारियों से जोड़ा गया। मुख्य अतिथि सीईओ विनय अग्रवाल ने अपने स्कूल के दिनों को याद करते हुए कहा कि वे भी पढ़ाई के डर से नेतृत्व से बचते थे, पर शिक्षकों के प्रोत्साहन से आगे बढ़े। रोहिणी कक मिशन का हवाला देते हुए बोले कि वैज्ञानिकों ने असफलता के बाद भी हार नहीं मानी और सफल हुए।

मालवीय मिशन ने विद्यार्थियों को सिखाया आदर्श का पाठ

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। महामना मालवीय मिशन सरगुजा इकाई ने माउंट लिटेरा जी स्कूल संजयनगर सूरजपुर में महापुरुषों द्वारा स्थापित आदर्शों से विद्यार्थियों को अवगत कराया और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। मिशन के संरक्षक हरिशंकर त्रिपाठी ने छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए मालवीय के जीवन से जुड़े विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से बताया कि शिक्षा ही मनुष्य को उत्कृष्टता की ओर ले जाता है। महामना मालवीय ने इस बात को समझते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी काशी हिंदू वविश्वविद्यालय की स्थापना में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया। मिशन के अध्यक्ष ब्रह्मा शंकर सिंह ने गीता के अध्याय 18 के श्लोक 37और 38 के सम्बंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कृष्ण की भक्ति और गीता से व्यक्ति को जीवन जीने की कला का ज्ञान प्राप्त होता हैं। मालवीय मिशन के उपाध्यक्ष रणविजय सिंह तोमर ने गीता के अध्याय 6 का श्लोक 6 के संबंध मे बताया कि किस तरह मन व्यक्ति का मित्र और शत्रु भी हो जाता है। व्यक्ति को मन का स्वामी होना चाहिए। मन के अधीन नहीं होना चाहिए तभी आप जीवन मे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मालवीय मिशन के महासचिव जयप्रकाश चौवे ने छात्रो को गीता के अनुसार कैसे कर्म करना चाहिए और धर्म के बारे मे बताते हुए कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में मालवीय मिशन के सचिव सुरेन्द्र कुमार गुप्ता और सदस्य माधव प्रसाद शर्मा उपस्थित थे। विद्यालय की छात्रा स्नेहाशीष दास और न्यासा तिवारी ने महापुरुषों की जीवनी पर आधारित अपने सारगर्भित विचार रखे। संचालिका मिस लेबा आफरीन ने अतिथियों का परिचय कराया। संस्था की प्राचार्य वर्षा अग्रवाल ने सभी अतिथियों का शाल श्रीफल से स्वागत करते हुए मालवीय मिशन के सदस्यों का आभार माना।

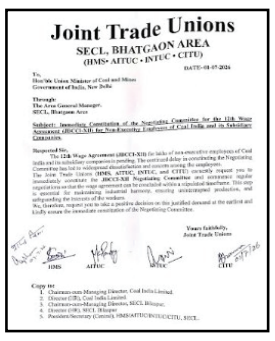

संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने 12वें वेतन समझौते की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की उठाई मांग

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

Joint Trade Unions
SECL, BHATGAON AREA
(HMS• AITUC • INTUC • CITU)

भटगांव। एसईसीएल भटगांव क्षेत्र की संयुक्त ट्रेड यूनियनों (एचएमएस, एटक, इंटक और सीटू) ने कोयला एवं खान मंत्री, भारत सरकार को पत्र भेजकर कोल इंडिया एवं उसकी सहायक कंपनियों के गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के लिए 12वें वेतन समझौते (जेबीसीआई-कक) की वार्ता समिति का तत्काल गठन करने की मांग की है। 1 जुलाई को भेजे गए इस पत्र में यूनियनों ने कहा है कि देशभर के लाखों गैर-कार्यपालक कर्मचारियों का 12वां वेतन समझौता लंबित है। वार्ता समिति के गठन में लगातार हो रही देरी के कारण कर्मचारियों में असंतोष और चिंता का माहौल बन रहा है। संयुक्त ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि जेबीसीआई-कक की नेगोशिएटिंग कमेटी का शीघ्र गठन कर नियमित वेतन वार्ता प्रारंभ कराई जाए, ताकि निर्धारित समय-सीमा के भीतर वेतन समझौते को अंतिम रूप दिया जा सके। यूनियनों का कहना है कि समय पर वार्ता शुरू होने से औद्योगिक सौहार्द बना रहेगा, उत्पादन प्रभावित नहीं होगा तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। पत्र में सरकार से इस मांग पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए जल्द से जल्द वार्ता समिति गठित करने का अनुरोध किया गया है। इस ज्ञापन की प्रतिलिपि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन-कम-मैनेजिंग डायरेक्टर, निदेशक (मानव संसाधन), एसईसीएल बिलासपुर के सीएमडी, निदेशक (एचआर) तथा एसईसीएल की केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के पदाधिकारियों को भी भेजी गई है। संयुक्त ट्रेड यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों के हितों और औद्योगिक शांति को ध्यान में रखते हुए 12वें वेतन समझौते की प्रक्रिया में अब और विलंब नहीं होना चाहिए।

सतपुड़ा-सी वादियां, छोटे-मोटे अबूझमाड़ रहने दो, बदौलत इन्हीं के है जलचक्र, धरा पर आषाढ़ रहने दो: विनोद हर्ष

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर, जिला प्रशासन द्वारा रामगढ़ महोत्सव में आयोजित सरस कवि-सम्मेलन में श्रोताओं ने भगवान राम के दिव्य गुणों से परिपूर्ण कविताओं का श्रवण-लाभ लिया। राज्य के संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति में कवियों ने राम-भक्ति, रामराज्य और रामगढ़ की महिमा का सुंदर बखान किया। संचालन कवि संतोष दास 'सरल' ने किया।

श्रीराम-वंदना से शुभारंभ

समारोह का शुभारंभ वरिष्ठ गीतकार रंजीत सारथी की सरगुजिहा में प्रस्तुत श्रीराम-वंदना से हुआ- 'तोला भजो राम, गिरधारी, धनुषधारी मैं तोला भजो राम'।

राम नाम की महिमा का बखान

कवि राजेश पांडेय ने गाया- ' जगत के पालक उनका नाम, बसे हैं हर धड़कन में राम'। डॉ. पूनम दुबे 'वीणा' बोलीं- ' मेरे अंतसमन में बसते हैं प्रभु राम'। एसपी जायसवाल ने कहा-' राम नांव कर महिमा में पखना हर उपलाय गइस'। प्रकाश कश्यप ने निष्काम कर्म का संदेश दिया- ' जब तक मन में राम नहीं, जीवन में विश्राम नहीं।

रामराज्य और रामत्व का संदेश

मुकुंदलाल साहू ने दोहे में कहा- 'राम-नाम जपते रहो, करते-करते काम'। अंजू पांडेय ने आह्वान किया- ₹रामराज का सपना है तो कार्य राम-सा करना होगा, अपने भीतर के रावण से सबसे पहले लड़ना होगा₹। मंशा शुक्ला बोलीं- ' भाव रामत्व का मन में बसा लीजिए, देखिएगा नजरिया बदल जाएगा₹।

सीता के चरित्र पर मार्मिक प्रस्तुति

डॉ. अंचल सिन्हा ने जगत जननी मां सीता के पावन चरित्र का उल्लेख करते हुए कहा- ₹ईश्वर करे, किसी भी युग में किसी सीता को फिर कभी अपने सत्य का प्रमाण न देना पड़े₹।

रामगढ़ की महिमा और भारत वंदना

डॉ. सपन सिन्हा ने कहा- ' यूं ही पावन नहीं, रामगढ़ की धरा, राम के आगमन से बंधा धाम है' । अनीता मंदिलवार ने मेघों से अनुनय किया- ₹रामगढ़ का संदेश सुनाना, जहां राम के चरण पड़े थे, वहां प्रेम का दीप जलाना' । संतोष दास 'सरल' ने सरगुजिहा में बुलाया- ' चल न संगी रामगढ़ देखे- बुले जाबो'। डॉ. अजयपाल सिंह ने भारत को ' मां ' कहा। विनोद हर्ष की कविता ' सतपुड़ा-सी वादियां... धरा पर आषाढ़ रहने दो ' से समापन हुआ। आभार डॉ. उमेश पांडेय ने माना। संयुक्त कलेक्टर शारदा अग्रवाल, करुणेश श्रीवास्तव, दीपमाला सिंह सहित बड़ी संख्या में काव्यप्रेमी मौजूद रहे।

समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) के तहत अंबिकापुर जिले को मिले 34 प्रकरण

सुप्रीम कोर्ट की पहल पर लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया तेज, आपसी सहमति से होगा समाधान

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अंबिकापुर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह (विशेष लोक अदालत) 2026 के तहत जिले को कुल 34 प्रकरण प्राप्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी सूचना के अनुसार, न्याय को सरल, सुलभ और घर-घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह विशेष पहल शुरू की गई है। इसके तहत देशभर में लंबित उपयुक्त मामलों को सुलह-समझौते के जरिए निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान की शुरूआत 21 अप्रैल से की गई थी, जिसकी परिणति 21,22 और 23 अगस्त को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में होगी। अधिकारियों के अनुसार, जिले में प्राप्त 34 प्रकरणों को लेकर संबंधित पक्षों से संपर्क किया जा रहा है। इन मामलों में पूर्व-सुलह बैठकों का आयोजन जिला, तालुका एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से किया जाएगा। इन बैठकों में प्रशिक्षित मध्यस्थ और विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारी पक्षकारों को समाधान निकालने में मदद करेंगे। इस विशेष लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों का त्वरित, सरल और कम खर्च में निपटारा करना है। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबी न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी और आपसी सहमति से विवाद समाप्त किए जा सकेंगे। विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित वादकारियों, अधिवक्ताओं और अन्य पक्षों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। साथ ही यह भी बताया गया है कि इच्छुक पक्षकार अपने मामलों को समाधान समारोह में शामिल कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट और निर्धारित गूगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस पहल से न्याय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लंबित मामलों के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। अंबिकापुर में 34 मामलों का चयन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

छेड़खानी का विरोध करने पर चाकू से जीजा पर पेट-छाती में किया जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायगढ़। धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। तुकार्पारा निवासी सागर सारथी (23) ने मोबाइल नंबर मांगने से मना करने पर युवती से छेड़छाड़ शुरू कर दी। बीच-बचाव करने पहुंचे युवती की सहेली के जीजा पर आरोपी ने पेट और छाती पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

लैलूंगा थाना क्षेत्र की 19 साल की युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वह पिछले 6 महीने से धरमजयगढ़ में किराए के मकान में रहकर मजदूरी कर रही है। मंगलवार शाम वह सहेली के साथ निर्माण स्थल पर काम कर रही थी। तभी आरोपी सागर सारथी वहां पहुंचा और मोबाइल नंबर मांगने लगा। मना करने पर छेड़छाड़ शुरू कर दी।

सैलरी न मिली तो 69 साल के बिंगसन ने 300 फाइव स्टार होटलों को लगाया चूना, रायपुर पुलिस ने 72 घंटे में दबोचा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। देशभर के 300 से ज्यादा फाइव स्टार होटलों में ठगी और चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग बिंगसन जॉन (69) को रायपुर पुलिस ने ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया है। चार्ल्स शोभराज से प्रभावित आरोपी ने रायपुर के होटल हयात से 63,755 रु. का बिल और 1.48 लाख का लैपटॉप लेकर फरार होने के 72 घंटे के भीतर दबोच लिया गया।

क्या है पूरा मामला

तेलीबांधा स्थित होटल हयात के सिक्योरिटी इंचार्ज सूरज सिंह की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। आरोपी 25 जून को होटल में ठहरा और 27 जून की सुबह बिना चेक-आउट किए फरार हो गया। उसने विशेष अनुरोध पर किराए पर लिया लैपटॉप भी साथ ले गया। संपर्क करने पर दोनों मोबाइल नंबर बंद मिले।

ऐसे पकड़ा गया ठग

एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलीबांधा थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल में जमा दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों के तकनीकी विश्लेषण से लोकेशन ट्रेस की। भुवनेश्वर में लोकेशन मिलने पर टीम ने छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। लैपटॉप बरामद कर लिया गया।

वेटर से बना 'साइबर शोभराज'

तमिलनाडु के तूतीकोरिन का रहने वाला बिंगसन जॉन शुरूआत में होटल में वेटर था। मेहनताना नहीं मिलने पर अपराध का रास्ता चुन लिया। 1996 में पहली बार तिहाड़ जेल गया। वहीं चार्ल्स शोभराज से प्रभावित होकर ठगी के नए तरीके सीखे।

ठगी का तरीका

खुद को विदेशी ट्रैवल गाइड, इंग्लिश टीचर या योगा टीचर बताकर होटल में ठहरता। कई दिन फाइव स्टार सुविधाओं का उपयोग करता, फिर बिना बिल चुकाए होटल का सामान लेकर फरार हो जाता। 1990 से अब तक 300 होटलों को निशाना बना चुका है।

10 से अधिक राज्यों में वारदात और करीब 15 साल जेल में बिता चुका है। इठर की धारा 318(4) के तहत कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अन्य राज्यों में दर्ज मामलों का रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।

सीएम हेल्पलाइन बनी छात्रा की उम्मीद, आधार में 3 साल की गलती 1 हफ्ते में सुधरी

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

अम्बिकापुर। सीएम हेल्पलाइन एक बार फिर आम नागरिकों के लिए संकटमोचक बनी। सरगुजा जिले के ग्राम करिया की छात्रा आराधना सिंह का आधार कार्ड में जन्मतिथि की 3 साल की गंभीर त्रुटि के कारण उच्च शिक्षा पर संकट मंडरा रहा था। सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराने के एक सप्ताह के भीतर ही प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से समस्या दूर हो गई।

गलत जन्मतिथि से रुका कॉलेज प्रवेश

12वीं पास आराधना ने बताया कि कॉलेज प्रवेश के दौरान दस्तावेज जांच में पता चला कि आधार में जन्मतिथि करीब 3 साल गलत दर्ज है। इसके कारण आधार अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहा था और प्रवेश प्रक्रिया रुकने की आशंका थी। आधार सेंटर-डाकघर में नहीं हुआ समाधान आराधना ने बताया कि वे आधार सेंटर और डाकघर गईं, लेकिन वहां बताया गया कि जन्मतिथि में अधिक अंतर होने से सामान्य प्रक्रिया से सुधार संभव नहीं। लगातार कोशिश के बाद भी समाधान न मिलने से वे मानसिक रूप से परेशान हो गई थीं। उन्हें लगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दिक्कत आएगी।

चाचा ने दर्ज कराई सीएम हेल्पलाइन में शिकायत

इसी दौरान चाचा को सीएम हेल्पलाइन की जानकारी मिली। उन्होंने आराधना की समस्या विस्तार से दर्ज कराई। शिकायत के बाद अधिकारियों ने खुद आराधना से संपर्क कर पूरी जानकारी ली और शपथ पत्र, जन्म प्रमाण पत्र सहित जरूरी दस्तावेज तैयार कर निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करने का मार्गदर्शन दिया।

1 सप्ताह में मिला नया आधार कार्ड

अधिकारियों के निर्देश पर आराधना ने सभी दस्तावेज जमा किए। शीघ्र कार्रवाई करते हुए लगभग एक सप्ताह में संशोधित आधार कार्ड जारी कर दिया गया। आराधना ने खुशी जताते हुए कहा कि ₹पहले लगता था दस्तावेजों की त्रुटि से भविष्य प्रभावित हो जाएगा, लेकिन सीएम हेल्पलाइन से समय पर समाधान मिलने से बड़ी चिंता दूर हो गई। अब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरे आत्मविश्वास से करूंगी₹।

सीएम का जताया आभार

आराधना ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार जताते हुए कहा कि 'यदि यह सुविधा नहीं मिलती तो शायद समस्या इतनी जल्दी हल नहीं होती'। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि 'समस्या होने पर निराश न हों, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराएं'।

43 मौतों के बाद भी नियमितीकरण नहीं, कल 'जल समाधि' देंगे 2471 कर्मचारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ बिजली विभाग के 2471 से ज्यादा संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर शुक्रवार को 'जल समाधि आंदोलन' करेंगे। राजिम में पदस्थ संविदा कर्मचारी महेश्वर साहू ने बताया कि 8-10 साल से काम कर रहे हैं। 2018-19 की भर्ती के बाद किसी का नियमितीकरण नहीं हुआ। भर्ती के समय ₹खंभे पर नहीं चढ़ना होगा₹ कहा गया था, लेकिन 2021 के बाद जोखिम भरे काम कराए जा रहे हैं। महेश्वर के मुताबिक इस दौरान करीब 100 संविदा कर्मचारी हादसों का शिकार हुए, 43 की मौत हो चुकी है, 20 मौतें बिजली हादसों में हुईं। नई एचआर पॉलिसी में लाइन परमिट जारी करने जैसी जिम्मेदारी भी दे दी गई।

सम्पादकीय

मानसून राहत के साथ चुनौती भी

उत्तर भारत में मानसून ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे करोड़ों लोगों के लिए यह राहत का संदेश है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मानसून अपने साथ खुशियां और संकट दोनों लेकर आया है। बंगाल की खाड़ी से जम्मू-कश्मीर तक फैली करीब 1,500 किलोमीटर लंबी मानसून ट्रफ इस बात का संकेत है कि इस बार मानसून की गति कुछ दिनों तक धीमी रही, जिससे कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया। अब एक साथ भारी बारिश की संभावना मौसम की चरम घटनाओं की ओर इशारा करती हैं। आने वाले दिनों में उत्तर भारत में व्यापक बारिश होगी। यह बारिश खेतों के लिए अमृत साबित हो सकती है, लेकिन यदि तैयारी अधूरी रही तो यही पानी बाढ़, जलभराव और जनहानि का कारण भी बन सकता है। भारत में मानसून केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की धुरी है। देश की लगभग 42 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और 60 प्रतिशत से अधिक कृषि भूमि आज भी वर्षा आधारित है। समय पर और संतुलित मानसून किसानों के लिए बेहतर उत्पादन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती और खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करता है। अच्छी फसल का सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। मानसून जल सुरक्षा का भी सबसे बड़ा आधार है। वर्षा का पानी नदियों, झीलों, तालाबों और भूजल स्रोतों को पुनर्जीवित करता है। जलविद्युत परियोजनाओं को ऊर्जा उत्पादन के लिए पर्याप्त पानी मिलता है और पूरे वर्ष पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है। मानसून का दूसरा चेहरा भी उतना ही कठोर है। असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़, हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड, उत्तर प्रदेश में पेड़ गिरने से हुई मौतें और मुंबई जैसे महानगरों में जलभराव यह बताते हैं कि भारत आज भी मानसून का पूरी तरह सामना करने के लिए तैयार नहीं है। हर वर्ष एक जैसी घटनाएं दोहराई जाती हैं, लेकिन समाधान स्थायी नहीं बन पाते। शहरों में नालों की सफाई समय पर नहीं होती, अतिक्रमण के कारण प्राकृतिक जल निकासी बाधित रहती है और थोड़ी सी तेज बारिश भी पूरे शहरी तंत्र को ठप कर देती है। कृषि क्षेत्र में भी चुनौतियां कम नहीं हैं। यदि मानसून कमजोर पड़ जाए या बारिश का वितरण असमान हो तो खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित होती है। अल नीनो जैसी वैश्विक मौसमी घटनाएं कई बार सूखे की स्थिति पैदा कर देती हैं, जिससे उत्पादन घटता है और महंगाई बढ़ती है। मानसून के दौरान स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी बढ़ जाते हैं। दूषित पानी से डायरिया, टाइफाइड और पीलिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। निर्माण कार्य प्रभावित होते हैं, सड़कें टूटती हैं, यातायात बाधित होता है और उद्योगों की उत्पादन क्षमता पर भी असर पड़ता है। यानी मानसून का प्रभाव केवल खेतों तक सीमित नहीं, बल्कि देश की संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। ऐसे में किसानों और आमजन को भी वर्षा जल को संरक्षित करना होगा। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने होंगे। आपदा प्रबंधन तंत्र को केवल राहत कार्य तक सीमित न रखकर पूर्व तैयारी पर अधिक ध्यान देना होगा। मानसून प्रकृति का सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन यह तभी वरदान बन सकता है जब उसकी प्रत्येक बूंद का सम्मान किया जाए। यदि वर्षा जल संरक्षण, वैज्ञानिक जल प्रबंधन, मजबूत शहरी अवसंरचना और प्रभावी आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया जाए, तो मानसून केवल मौसम नहीं, बल्कि भारत के सतत विकास की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

पुनर्जागरण

प्रणय कुमार

भारत केवल नाम नहीं, सभ्यतागत पहचान

न्यास से जुड़े भारतीय भाषा मंच ने देशभर के विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के समक्ष निरंतर यह प्रश्न रखा कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की वास्तविक पहचान उसके अपने नाम से होती है। वस्तुतः भारत केवल एक भौगोलिक सीमा या राजनीतिक व्यवस्था का नाम नहीं है। वह एक प्राचीन सभ्यता, जीवंत संस्कृति और निरंतर प्रवाहित राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। हजारों वर्षों की ज्ञान-परंपरा, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, विज्ञान, लोकजीवन, संघर्ष और आत्मबल ने उसकी पहचान निर्मित की है। 'इंडिया' से 'भारत' की यह यात्रा किसी शब्द-परिवर्तन का अभियान नहीं, बल्कि स्वत्व, स्वाभिमान, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सभ्यतागत पुनर्जागरण की पुनर्प्रतिष्ठा है।

देश के अनेक विश्वविद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों की उपाधियों, अंकपत्रों, पत्राचार, निमंत्रण-पत्रों, साइन-बोर्डों तथा अन्य आधिकारिक अभिलेखों में 'इंडिया' के स्थान पर 'भारत' लिखने का निर्णय केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं है। यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, ऐतिहासिक स्मृति और राष्ट्रीय स्वाभिमान के पुनर्जागरण का उद्घोष है। यह परिवर्तन उस वैचारिक मंथन का परिणाम है, जो लंबे समय से शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय अस्मिता के प्रश्न पर देशभर में चल रहा है।

हाल ही में मध्य प्रदेश के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर ने अपने सभी आधिकारिक दस्तावेजों में 'इंडिया' के स्थान पर 'भारत' लिखने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर की कार्यपरिषद ने भी अपने आधिकारिक अभिलेखों में 'भारत' लिखने का प्रस्ताव पारित किया। 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, गुजरात तथा महाराष्ट्र के कम-से-कम सत्रह विश्वविद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थानों ने इस दिशा में औपचारिक संकल्प पारित किए हैं। स्पष्ट है कि यह अब किसी एक विश्वविद्यालय का निर्णय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित एक व्यापक शैक्षिक अभियान का स्वरूप ग्रहण कर रहा है। इन निर्णयों के पीछे शैक्षिक क्षेत्र में सक्रिय 'शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास' की वर्षों की सतत वैचारिक साधना और संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। न्यास से जुड़े भारतीय भाषा मंच ने देशभर के विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के समक्ष निरंतर यह प्रश्न रखा कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की वास्तविक पहचान उसके अपने नाम से होती है। वस्तुतः भारत केवल एक भौगोलिक सीमा या राजनीतिक व्यवस्था का नाम नहीं है। वह एक प्राचीन सभ्यता, जीवंत संस्कृति और निरंतर प्रवाहित राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। हजारों वर्षों की ज्ञान-परंपरा, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, विज्ञान, लोकजीवन, संघर्ष और आत्मबल ने उसकी पहचान निर्मित की है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि हर भाषा की अपनी प्रकृति, परंपरा और सांस्कृतिक स्मृति होती है। शब्द केवल ध्वनियां नहीं होते; वे इतिहास, भाव, मूल्य, अर्थ और पहचान के वाहक होते हैं। इसी कारण किसी व्यक्ति, स्थान अथवा राष्ट्र की संज्ञा का सामान्यतः अनुवाद नहीं किया जाता। नाम केवल संबोधन नहीं होता, बल्कि अस्तित्व और अस्मिता का प्रतीक होता है। भाषा की इसी संवेदनशीलता की उपेक्षा के कारण अंग्रेजीकरण की प्रवृत्ति ने अनेक विकृतियां उत्पन्न की हैं। राम का 'रामा', कृष्ण का 'कृष्णा', शिव का 'शिवा' और तनुज का 'तनुजा' आदि कर देने से केवल उच्चारण ही नहीं बदलता, बल्कि कई बार शब्द का अर्थ और लिंग भी परिवर्तित हो जाता है। यदि व्यक्तियों के नामों के साथ ऐसा परिवर्तन स्वीकार्य नहीं हो सकता, तो करोड़ों लोगों की सभ्यतागत पहचान वाले राष्ट्र के नाम के साथ यह असावधानी कैसे स्वीकार की जा सकती है?

'भारत' कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता का स्वनाम है। इसकी जड़ें हमारी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा में हैं। ऋग्वैदिक साहित्य, महाभारत, विष्णु पुराण

तथा अनेक प्राचीन ग्रंथों में 'भारत' और भारतवर्ष' का उल्लेख मिलता है। भारतीय परंपरा के अनुसार इस राष्ट्र का नामकरण चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत के नाम पर हुआ। इसके विपरीत 'इंडिया' एक बाह्य नाम है, जिसकी उत्पत्ति सिंधु (इंडस) के विदेशी उच्चारण से हुई और जिसे औपनिवेशिक शासन ने आधिकारिक रूप से स्थापित किया। विश्व के अनेक देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद अपने मूल नामों और सांस्कृतिक प्रतीकों को पुनः प्रतिष्ठित किया। पड़ोस के देश सीलोन ने श्रीलंका व बर्मा ने म्यांमार कहे जाने में गर्व की अनुभूति की। वस्तुतः प्रत्येक स्वाभिमानी राष्ट्र अपने स्वनाम को अपनी सांस्कृतिक पहचान का आधार मानता है। ऐसे में भारत द्वारा अपने वास्तविक नाम 'भारत' को प्रतिष्ठित करने का आग्रह न तो असामान्य है और न ही अभूतपूर्व; यह प्रत्येक स्वतंत्र राष्ट्र का स्वाभाविक अधिकार है। यह भी उल्लेखनीय है कि संविधान सभा में 'भारत' नाम को लेकर गंभीर और सार्थक चर्चा हुई थी।

अनेक सदस्यों ने आग्रह किया था कि संविधान में राष्ट्र का मूल नाम 'भारत' ही होना चाहिए। यद्यपि तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों में अनुच्छेद 1 में 'इंडिया दैट इज भारत' का स्वरूप स्वीकार किया गया, तथापि संविधान सभा की बहस यह स्पष्ट करती है कि 'भारत' केवल एक भाषाई विकल्प नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने अनेक अवसरों पर कहा है कि 'भारत' एक विशिष्ट संज्ञा है, उसका अनुवाद नहीं किया जा सकता। जैनाचार्य विद्यासागर महाराज भी निरंतर यह प्रश्न उठाते रहे कि जब मद्रास का चेन्नई, कलकत्ता का कोलकाता, बॉम्बे का मुंबई, गुरुगांव का गुरुग्राम हो सकता है, तो 'इंडिया' का 'भारत' क्यों नहीं? उनके अनुसार यह केवल नाम परिवर्तन का नहीं, बल्कि मानसिक दासता से मुक्ति का प्रश्न है।

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी जनमानस की वाणी 'भारत' ही थी। 'भारत माता की जय', 'वन्दे मातरम्' और 'जय हिन्द' जैसे उद्घोष राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक बने। प्रश्न है कि कोई यदि 'इंडिया माता की जय' कहे तो क्या उससे वही भाव प्रकट होगा जो 'भारत माता की जय' से होता है? इससे स्पष्ट है कि राष्ट्र की आत्मा सदैव 'भारत' नाम से ही स्वयं को अभिव्यक्त करती रही है। हाल के वर्षों में भी राष्ट्रीय जीवन में 'भारत' के प्रयोग की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ी है। जी-20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण-पत्रों में 'प्रेसिडेंट ऑफ भारत' का प्रयोग हो अथवा अनेक सरकारी दस्तावेजों और संस्थानों द्वारा 'भारत सरकार' तथा 'भारत' शब्द को प्राथमिकता देना, ये सभी संकेत इस बात के द्योतक हैं कि देश की सांस्कृतिक चेतना अपने वास्तविक नाम की ओर स्वाभाविक रूप से लौट रही है। शिक्षा केवल ज्ञानार्जन का माध्यम नहीं होती; वह राष्ट्रीय चेतना का निर्माण भी करती है। जब किसी विद्यार्थी को मिलने वाली उपाधि, अंकपत्र या प्रमाण-पत्र पर 'भारत' अंकित होगा, तो वह केवल एक शब्द नहीं पढ़ेगा, बल्कि अपनी सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान का भी बोध करेगा। आवश्यकता इस बात की है कि विश्वविद्यालयों द्वारा आरंभ किए गए इस ऐतिहासिक अभियान का अनुसरण अन्य शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भी करें।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारत केवल हमारे देश का नाम नहीं है; वह हमारी सभ्यता की स्मृति, संस्कृति की चेतना, इतिहास की निरंतरता और राष्ट्रीय आत्मा का स्वर है। इसलिए 'इंडिया' से 'भारत' की यह यात्रा किसी शब्द-परिवर्तन का अभियान नहीं, बल्कि स्वत्व, स्वाभिमान, सांस्कृतिक आत्मविश्वास और सभ्यतागत पुनर्जागरण की पुनर्प्रतिष्ठा है।

(लेखक शिक्षाविद एवं स्वतंत्र स्तंभकार हैं. ये उनके अपने विचार हैं।)

दिवस विशेष

कृष्ण प्रताप सिंह

आज 'थैंक्यू , डॉक्टर साहब!'

कहिए तो याद कीजिए...

आज नेशनल डॉक्टर्स डे है यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। मरीजों के प्राण व स्वास्थ्य की रक्षा के प्रयत्नों में डॉक्टरों द्वारा प्रदर्शित समर्पण के लिए उनका सम्मान करने, उनके प्रति कृतज्ञता जताने और उन्हें धन्यवाद देने का दिन, जो 'भारतरत्न' से सम्मानित अपने वक्त के देश के महान चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और बारह से ज्यादा वर्ष तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे डॉ. बिधानचंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। दरअसल, यह दिन डॉ. बिधानचंद्र रॉय की जयंती भी है और पुण्यतिथि भी। 1882 में एक जुलाई को पटना के बांकीपुर में एक बंगाली कायस्थ परिवार में उनका जन्म हुआ था तो 1962 में एक जुलाई को ही निधन भी हुआ-उनके 80वें जन्मदिन पर। बहरहाल, राजनेता के रूप में काम करते हुए भी उन्होंने चिकित्सक के रूप में अपने दायित्वों के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं आने दी, जिसके चलते दूरदर्शी संस्था-निर्माता के रूप में सामने आये और आधुनिक भारतीय स्वास्थ्य सेवा व चिकित्सा शिक्षा के जनक माने जाने लगे।

उन्होंने कलकत्ता में चित्तरंजन सेवा सदन, चित्तरंजन कैंसर अस्पताल, विक्टोरिया इंस्टीट्यूशन और जादवपुर टी.बी. अस्पताल जैसे प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही देश में चिकित्सा शिक्षा और पेशेवर मानकों के नियमन के लिए 1939 में भारतीय चिकित्सा परिषद की स्थापना की और उसके पहले अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 1928 में देश के डॉक्टरों को एक मंच पर लाने के लिए भारतीय चिकित्सा संघ (इंडियन मेडिकल एसोसिएशन) के गठन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने तो राज्य में स्वास्थ्य केंद्रों, प्रसूति केंद्रों, और कुष्ठ रोग क्लीनिकों का अभूतपूर्व विस्तार किया। मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी अनेकानेक व्यस्तताओं के बावजूद, वे प्रतिदिन दो घंटे गरीब मरीजों को मुफ्त चिकित्सा सहायता और दवाइयां देते थे। इसलिए एक जुलाई को, जो उनकी जयंती भी है और पुण्यतिथि भी, नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया और इस दिन उत्कृष्ट डॉक्टरों को सम्मानित किया जाने लगा। समय के साथ इस अवसर पर देश की पहली डिग्रीधारी महिला चिकित्सक आनंदीबाई गोपालराव जोशी और उनके संघर्षों को भी याद किया जाने लगा। 1885 में पुणे (महाराष्ट्र) की आनंदीबाई गोपालराव जोशी ने डॉक्टर बनने का संकल्प लिया तो उन्हें गुलामी के साथ पितृसत्ता की जाई नाना प्रकार की रूढ़ियों, संकीर्णताओं और परम्पराओं वगैरह का भारी भरकम बोझ भी उठाना पड़ा था। उन्होंने इंच-इंच संघर्ष कर सबको शिकस्त दी और देश की पहली डिग्रीधारी महिला डॉक्टर बनकर रहीं। अपने भीतर की मां को सदमे से उबारकर इस दृढ़ संकल्प तक पहुंचाया कि वे चिकित्सा विज्ञान पढ़कर डॉक्टर बनेंगी और अपने देखते किसी भी अन्य मां की गोद इस तरह सूनी नहीं होने देंगी। उन्होंने इस बाबत अपने पति गोपाल राव को बताया तो उन्होंने उसे पूरा करने में हर कदम पर उनका साथ देने का वचन दिया और उसे निभाया भी। उनका माता-पिता का दिया नाम यमुना था, जो विवाह के बाद एक परम्परा के तहत बदल दिया गया था और ससुराल वाले उन्हें आनंदीबाई कहकर पुकारने लगे थे। बाद में परम्परा के अनुसार अभिलेखों में उनके नाम के साथ पति का नाम जोड़ दिया गया तो उनका नाम आनंदीबाई गोपाल राव जोशी हो गया। अमेरिका में डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके वे स्वदेश लौटीं तो कोल्हापुर रियासत द्वारा संचालित अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल के महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सक नियुक्त हुईं। लेकिन नियति ने इस मोड़ पर भी उनका ट्रेजेडी से सामना कराना ही तय कर रखा था। पद भार संभालने के कुछ ही दिनों बाद वे तपेदिक (टीबी) की शिकार हो गईं, जो उन दिनों तक सर्वथा लाइलाज बीमारी मानी जाती थी। अंततः 26 फरवरी, 1887 को महज 22 साल की उम्र में इस असाध्य बीमारी ने उनकी जान ले ली और जिस तरह उनकी गोद सूनी हुई थी, उस तरह किसी और मां की गोद सूनी न होने देने का उनका सपना सपना ही रह गया। उनके वक्त में मुम्बई की उनकी जैसी ही बाल-विवाह पीड़िता रखमाबाई राउत (22 नवम्बर, 1864 - 25 सितम्बर,1955) ने नाना विघ्न बाधाओं के बीच लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वीमेन से स्नातक की पढ़ाई पूरी कर एमडी करनी चाही तो पाया कि वह संस्थान महिलाओं को एमडी ही नहीं करवाता। इसके चलते उन्हें ब्रसेल्स जाकर एमडी करनी पड़ी, जिसके बाद वे भारत की पहली महिला एमडी और पहली प्रैक्टिस करने वाली डॉक्टर बनीं। मुंबई के भीकाजी कामा अस्पताल में शुरुआती सेवाएं देने के बाद वे सूरत चली गईं और साढ़े तीन दशकों तक खुद को

(लेखक स्वतंत्र स्तंभकार हैं. ये उनके अपने विचार हैं।)

मुंह के मौन से ज़्यादा ज़रूरी 'मन का मौन'

हम सभी मनुष्य जन्मते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रमाण है जन्म लेते ही शिशु का रोना। बोलना हमारी स्वाभाविक क्रिया है, जो हमें करनी ही पड़ती है। यह बात और है कि कभी-कभी बाहर के शोर में हम इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का स्वर हमें सुनाई ही नहीं पडता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में एक दिन अवश्य मौन रहें, परंतु हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, परंतु हमारे मन का बोलना बंद नहीं हो पाता। इसलिए ही तो अधिकतर डाक्टर सभी मरीजों को कहते हैं कि 'अपने मन को ज्यादा नहीं चलाओ।' अर्थात 'मन का मौन' करो। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है, तो कइयों की हड्डियां तोड़ देती है। इसीलिए तो हमें यह बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे श्रेष्ठ उदहारण है महाभारत की कथा, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक जुबान के फिसलने से संकटकाल का निर्माण हो गया। इसीलिए 'कम बोलें-धीरे बोलें-मीठा बोलें।' हम जब भी कुछ बोलें तो हमारे वचन दूसरों के लिए सुखदायी हों, न कि कांटा चुभाने वाले दुखदायी। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कटु वचन बोलने के संस्कार के कारण अपने संबंधों में खटास पैदा कर ली है। इसलिए हमें सदैव सही समय और सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

संकलित

दर्शन

धन कमाने के साथ भक्ति भी करें

एक दिन कबीरदास अपना काम कर रहे थे। काम करते समय वे भगवान का ध्यान भी कर लेते थे। पूरे दिन कबीरदास ऐसा ही करते थे। एक व्यक्ति उन्हें कई दिनों से देख रहा था। उसने कबीरदास से पूछा कि आप भक्त हैं, लेकिन आपको अलग से भक्ति करते हुए मैंने नहीं देखा। कबीर दास जी ने उस व्यक्ति की बात सुनी और कहा कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलो। हम थोड़ा घूम आते हैं। रास्ते में उन्हें एक महिला दिखाई दी। वह महिला पानी भरकर लौट रही थी। उसके सिर पर पानी से भरा मटका रखा था और वह अपनी मस्ती में गीत गाते हुए जा रही थी। उस महिला ने मटके को पकड़ा भी नहीं था। उसके सिर पर मटका स्थिर था और उसका पानी भी नहीं छलक रहा था। कबीर दास जी ने उस व्यक्ति से कहा कि ये महिला पानी लेकर जा रही है। सिर पर मटका रखा है, लेकिन उसने मटके पकड़ा भी नहीं है और गीत गाते हुए जा रही है। इसका ध्यान अपने मटके पर है, गाने पर भी है और रास्ते पर भी है। कबीर जी ने उस व्यक्ति को आगे समझाया कि इस महिला की तरह ही मैं भी काम करते-करते भगवान का ध्यान कर लेता हूं, भक्ति कर लेता हूं। दुनियादारी के काम करते हुए भी मेरा मन भगवान की भक्ति में ही लगा रहता है। मैं ये काम भी कर लेता हूं और भक्ति भी कर लेता हूं। ठीक इसी तरह जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। हमें धन भी कमाना चाहिए और भक्ति भी करते रहना चाहिए।

संकलित

प्रेरणा

उम्मत एक अवधारणा ही नहीं बल्कि एक नई व्याख्या और समकालीन अनुप्रयोग है

व्यापक दृष्टी से देखने की जरूरत

सैय्यद जाहिद अली रियासत

दुनिया भर में तेजी से बदलते सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक परिदृश्य ने मुसलमानों को इस बात पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है कि वे अपनी मूलभूत अवधारणाओं को नए संदर्भ में समझें और उनकी ऐसी व्याख्या करें जो न केवल उनकी धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखे, बल्कि उन्हें समाज में एक सकारात्मक, सक्रिय और रचनात्मक शक्ति के रूप में भी स्थापित करे। इन मूलभूत अवधारणाओं में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझना जरूरी है उनमें से एक उम्मत की अवधारणा है जो अव्वल है जो इस्लामी चिंतन का सदैव मूल केंद्रीय तत्व रही है। आधुनिक युग में इस अवधारणा का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्व्याख्या अत्यंत आवश्यक है, ताकि यह केवल भावनात्मक या नारेबाजी तक सीमित न रहकर एक व्यावहारिक और सामाजिक शक्ति बन सके। अरबी भाषा में उम्मत शब्द का अर्थ ऐसे लोगों के समूह से है जो किसी समान उद्देश्य, विश्वास या विचारधारा से जुड़े हों। इस्लामी परिभाषा में इसका अर्थ उस वैश्विक समुदाय से है जो ईमान, नैतिकता और साझा मूल्यों के आधार पर एकजुट हो। पवित्र कुरआन कहता है:

> तुम वह सर्वश्रेष्ठ उम्मत हो जिसे समस्त मानवता के लिए उत्पन्न किया गया है। (आले-इमरान 3:110)

एक अन्य स्थान पर कहा गया है:

> और इसी प्रकार हमने तुम्हें एक संतुलित और मध्यम मार्ग अपनाने वाली उम्मत बनाया है। (अल-बकरह 2:143)

इन शिक्षाओं से स्पष्ट होता है कि उम्मत की अवधारणा केवल धार्मिक पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ एक सक्रिय सामाजिक उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है। किन्तु वर्तमान समय में उम्मत की अवधारणा को प्रायः केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित कर दिया गया है, जबकि इसके व्यावहारिक और सामाजिक आयामों की उपेक्षा की जाती है। परिणामस्वरूप कभी-कभी इसे राष्ट्रीय एकता, अंतरधार्मिक सद्भाव और सामाजिक प्रगति के विपरीत प्रस्तुत किया जाता है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। उम्मत की अवधारणा को यदि उसकी वास्तविक भावना के साथ समझा जाए, तो यह आधुनिक राष्ट्र-राज्य के साथ पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सकती है, बल्कि उसे और अधिक सुदृढ़ भी बना सकती है। इस्लाम एक ओर वैश्विक भाईचारे की शिक्षा देता है, तो दूसरी ओर स्थानीय जिम्मेदारियों पर भी समान रूप से बल देता है। पैगम्बर मुहम्मद का सादा जीवन इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। मदीना में उन्होंने विभिन्न कबीलों और धार्मिक समुदायों के बीच एक सामाजिक समझौता स्थापित किया, जिसे मीसाक-ए-मदीना (मदीना का संविधान) कहा जाता है।

इसके अतिरिक्त पैगम्बर ने फरमाया है कि

> एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए ऐसी इमारत के समान है, जिसके विभिन्न भाग एक-दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं। (सहीह बुखारी एवं सहीह मुस्लिम)

आज के समय में उम्मत की अवधारणा को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वह राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करे। एक मुसलमान एक साथ वैश्विक उम्मत का सदस्य भी हो सकता है और अपने राष्ट्र का जिम्मेदार नागरिक भी। ये दोनों पहचानें परस्पर विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक-दूसरे की पूरक हैं। जब कोई मुसलमान अपने देश के विकास, शांति और स्थिरता के लिए कार्य करता है, तो उसका यह प्रयास अंततः व्यापक उम्मत के हित में भी होता है।

कुरआन वादों और दायित्वों को पूरा करने का आदेश देता है:

> अपने सभी अनुबंधों और वचनों को पूरा करो।

देखा जाय तो यह आयत नागरिक उत्तरदायित्वों के महत्व को स्पष्ट करती है।

उम्मत की अवधारणा अंतरधार्मिक विश्वास और सद्भाव को बढ़ावा देने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस्लाम सदैव न्याय, सहिष्णुता और उत्तम व्यवहार की शिक्षा देता है। कुरआन कहता है:

> निस्संदेह अल्लाह न्याय, सदाचार और उत्कृष्ट आचरण का आदेश देता है।

एक अन्य स्थान पर कहा गया है:

> जो लोग तुम्हारे धर्म के कारण तुमसे युद्ध नहीं करते और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकालते, उनके साथ भलाई और न्याय करने से अल्लाह तुम्हें नहीं रोकता। (अल-मुम्तहना 60:8) इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उम्मत की अवधारणा अंतरधार्मिक संवाद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक सशक्त आधार प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त उम्मत की अवधारणा सामाजिक विकास का भी एक प्रभावशाली माध्यम बन सकती है। यदि उम्मत को एक उत्तरदायी सामाजिक इकाई के रूप में देखा जाए, तो उसका प्रत्येक सदस्य समाज के उत्थान में अपना योगदान देने का प्रयास करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक न्याय और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में उम्मत की सक्रिय भूमिका एक आदर्श समाज के निर्माण में सहायक हो सकती है।

इसी संदर्भ में पैगम्बर ने फरमाया:

> सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो लोगों के लिए सबसे अधिक लाभकारी हो।

किन्तु इसके लिए आवश्यक है कि उम्मत की अवधारणा को उग्रवाद, संकीर्णता और भावनात्मक नारों से मुक्त कर एक सकारात्मक, रचनात्मक और व्यावहारिक स्वरूप दिया जाए। विद्वानों, बुद्धिजीवियों और सामाजिक नेताओं को चाहिए कि वे इसकी ऐसी व्याख्या प्रस्तुत करें जो आधुनिक विश्व की वास्तविकताओं और चुनौतियों के अनुरूप हो तथा मुसलमानों को जिम्मेदार वैश्विक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे। इस प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रमों में ऐसे विषयों को शामिल किया जाना चाहिए जो विद्यार्थियों को उम्मत की संतुलित और व्यापक समझ प्रदान करें। युवाओं को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे अपनी धार्मिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए अन्य समुदायों के साथ सौहार्दपूर्वक जीवन व्यतीत करें और समाज में सकारात्मक योगदान दें। इसी प्रकार मीडिया और सोशल मीडिया भी उम्मत की अवधारणा को सही रूप में प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि इनका सकारात्मक उपयोग किया जाए, तो उम्मत को एक ऐसी रचनात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है जो केवल मुसलमानों ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए लाभकारी सिद्ध हो। उम्मत की अवधारणा एक व्यापक और समावेशी विचार है, जिसे यदि सही ढंग से समझा और व्यवहार में लागू किया जाए, तो यह मुसलमानों को बौद्धिक और सामाजिक दिशा प्रदान करने के साथ-साथ एक शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और प्रगतिशील समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। कुरआन उम्मत की जिम्मेदारी को नेकी और भलाई के प्रसार से जोड़ता है, जबकि पैगम्बर की शिक्षाएँ इसके व्यावहारिक स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। समय की आवश्यकता है कि उम्मत की अवधारणा को केवल सीमित ऐतिहासिक व्याख्याओं तक सीमित न रखा जाए, बल्कि इसे आधुनिक, संतुलित और व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया जाए, ताकि यह समकालीन चुनौतियों का प्रभावी समाधान बन सके। ऐसा करने से न केवल उम्मत को लाभ होगा, बल्कि समस्त मानवता भी इसके सकारात्मक योगदान से लाभान्वित होगी इससे ना केवल इस्लाम धर्म का विकास होगा बल्कि समस्त मानवजाति विकसित होगी

लेखक वरिष्ठ पत्रकार है

आरोपी के तर्क को किया खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने की अहम टिप्पणी

आरोपी को चार्जशीट की प्रति नहीं मिलने मात्र से डिफॉल्ट जमानत का हक नहीं मिल जाता

एजेंसी ▶▶ नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को स्पष्ट किया कि किसी आरोपी को आरोप-पत्र (चार्जशीट) की प्रति उपलब्ध नहीं कराए जाने को डिफॉल्ट जमानत का आधार नहीं बनाया जा सकता है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें एक आरोपी की ऐसी ही एक याचिका खारिज कर दी गई थी। आरोपी का तर्क था कि उसे चार्जशीट की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई, इसलिए उसे डिफॉल्ट जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193(8) के तहत चार्जशीट की अतिरिक्त प्रतियां दाखिल नहीं किए जाने से स्वयं चार्जशीट अमान्य नहीं हो जाती।

न्यायमूर्ति करोल और सिंह की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा

90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना अनिवार्य

अदालत ने कहा कि पूर्ववर्ती दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की तरह ही बीएनएसएस के तहत भी डिफॉल्ट जमानत का अधिकार तभी उत्पन्न होता है, जब जांच एजेंसी 60 या 90 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर, जैसा भी मामला हो, चार्जशीट दाखिल नहीं करती। पीठ ने कहा कि निर्धारित अवधि के भीतर बीएनएसएस की धारा 193(3) के तहत निर्धारित प्रारूप में चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद डिफॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो जाता है।

साइबर ठगी से जुड़े मामले पर हो रही थी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज एक मामले में गिरफ्तार आरोपी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। यह मामला करीब 3.81 करोड़ रुपये की कथित बड़े पैमाने की साइबर ठगी से जुड़ा है। सीबीआई के अनुसार, अज्ञात साइबर अपराधी अत्याधुनिक डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल कर लोगों से ठगी कर रहे हैं। इसके लिए वे फर्जी पहचान, जाली दस्तावेज और अन्य तकनीकी तरीकों का उपयोग करते हैं।

फिर भी चार्जशीट की प्रति हमें नहीं दी गई आरोपी बोला

जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि साइबर ठगी से हासिल रकम को बैंक खातों में जमा कराने में कुछ बैंक अधिकारी भी उनकी मदद कर रहे हैं। आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में डिफॉल्ट जमानत की मांग करते हुए कहा था कि भले ही चार्जशीट निर्धारित समयसीमा के भीतर दाखिल कर दी गई थी, लेकिन उसे उसकी प्रति नहीं दी गई।

शीर्ष कोर्ट में उठा '370 की बिरयानी' वाला मुद्दा

स्टैंड-अप, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया पर लगेगी लगाम

गुरुग्राम में कॉमेडियन प्रणित मोरे के शो के दौरान '370 बिरयानी' वाली विवादित कॉमेडी का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में स्टैंड-अप कॉमेडी, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से बने कंटेंट के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई। वकील विशाल तिवारी ने यह याचिका दायर की है। याचिका में हाल ही में ऑनलाइन फैलाई गई कुछ गलत जानकारी का भी जिक्र किया। दावा किया गया था कि भारत के कई जज और केंद्रीय मंत्रियों ने लंदन में टैक्सपेयर्स के पैसे से बैडमिंटन टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था।

स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे, वेब डेवलपर हिमांशु जांगड़ा और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज

फेक न्यूज वायरल करने वालों पर लगे लगाम

याचिका में कहा गया है कि इस तरह की फेक न्यूज बहुत कम समय में तेजी से फैलती हैं। इस तरह की गुमराह करने वाली खबरें संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज, आजादी और मर्यादा को लेकर सवाल खड़े करती हैं। इन पर लगाम लगे।

मोइत्रा का भारी विरोध, बोलीं

काले झंडे दिखाए... अंडे भी फेंके और पुलिस देखती रही

एजेंसी ▶▶ कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा को बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। यह घटना पलाशी में हुई, जब वह 21 जुलाई शहीद दिवस कार्यक्रम की तैयारी से जुड़ी एक बैठक में शामिल होने आई थीं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेस्तरां के बाहर इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया और उन पर अंडे फेंके। मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके कृष्णानगर स्थित कार्यालय पर अंडे और सब्जियां फेंककर हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें भीड़ को उन पर अंडे फेंकते हुए देखा गया। उन्होंने लिखा, भाजपा के गुंडों द्वारा हमला किया जा रहा है और पश्चिम बंगाल पुलिस देख रही है।

मैं सांसद...पुलिस और अदालत भी संज्ञान नहीं ले रही

उन्होंने कहा कि देखिए क्या हो रहा है। पुलिस के सामने यह भाजपा की भीड़ है। मैं पिछले एक घंटे से यहां खड़ी हूं। मैंने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और अन्य सभी को फोन किया है। लेकिन पुलिस बैठकर देख रही है। सीआरपीएफ भी देख रही है। महुआ ने कहा यह मेरा इलाका है। मैं सांसद हूं। मैं कार्यालय में हूं। मैं यहां से नहीं जाऊंगी। कृपया इनके चेहरे देखिए। कल पश्चिम बंगाल सरकार इसे नकार देगी। कोई पुलिस संज्ञान नहीं लेगी। कोई अदालत संज्ञान नहीं लेगी।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले

अंडे फेंकना भाजपा की संस्कृति नहीं

इस बीच, भाजपा के राज्य अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि अंडा फेंकना भाजपा की संस्कृति नहीं है। उन्होंने अंडे फेंकने की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह भाजपा की संस्कृति नहीं है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे ऐसी गतिविधियों से दूर रहें, जिससे पार्टी की छवि देशभर में खराब हो सकती है।

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०/अ-20(3)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक विष्णु प्रताप अग्रवाल (कर्ता- HUF) आ० स्व० चंदगी राम अग्रवाल, निवासी सेठ बसंतलाल मार्ग विवेकानंदन वार्ड नं0 35. पो० अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर 09 मोहल्ला बाबूपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड कमांक 3467/4866/95 रकबा 17585 वर्गफीट में से कुल रकबा 1021 वर्गफीट पर निर्मित मकान व भूमि अर्थात चंदगी राम रेसीडेन्सी का डूपलेक्स/मकान नं0 06 को अनावेदक/केता संगीता अग्रवाल पति राजेश कुमार गर्ग, निवासी वार्ड नं0 34, ब्रम्हपारा, पैलेस रोड़, कान्हा मोबाईल अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ०ग० के पास बिक्रय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.07.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक 24.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा सेजारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 15 जनवरी 2026
प्रारूप (एक)
समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं प्रियंका लकडा पुराना नाम, जिसे बदला जाना है) सुपुत्र / सुपुत्री/पत्नी रंथु कुमार, शहर / गाँव-शिवपुर गाला, पत्थलगाँव जशपुर छत्तीसगढ़ ने अपना नाम प्रियंका लकडा (पुराना नाम) से बदल कर प्रियंका एक्का (नया नाम) रख लिया है।

न्यायालय नजूल अधिकारी बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०..ग्राम
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रजत कुमार गुप्ता आत्मज देवेन्द्र कुमार गुप्ता जाति काछी निवासी ग्राम महलपारा बैकुण्ठपुर जिला कोरिया छ०ग० के द्वारा आवेदन पत्र पेश किया गया है कि, आवेदक की माता तारा देवी गुप्ता पति देवेन्द्र कुमार गुप्ता के नाम पर नगर बैकुण्ठपुर में नजूल भू-खण्ड क्रमांक 223/10, 224/1ज, 225/1ड रकबा 195 वर्गफूट स्थित है। आवेदक की माता की मृत्यु दिनांक 02/01/2024 को हो चुकी है। उपरोक्त संबंध में आवेदक अपने नाम पर फौती नामान्तरण दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

उक्त संबंध में किसी भूमि व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो, वह स्वयं अथवा अपने अभिभावक के माध्यम से उपस्थित होकर इस न्यायालय में दिनांक 15/07/2026 को प्रातः 11.00 बजे तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित कर जारी किया जावे।

नजूल अधिकारी
बैकुण्ठपुर जिला कोरिया (छ०ग०)

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०-/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका कन्हैया लाल अग्रवाल आ०/पति स्व० क हनुमान प्रसाद अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी न्यू बस स्टैण्ड रोड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला राम मंदिर मैदान, शीट नम्बर-11 क नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3196/4813/16 रकबा 0.03 1/2 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 15/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 30/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा
रा०प्र०क्र०/20(1)/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक/आवेदिका घनश्याम दास अग्रवाल आ०/पति गोवर्धन दास अग्रवाल जाति अग्रवाल, निवासी पकनी. आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला - नवापारा, शीट नम्बर-1 नगर अम्बिकापुर स्थित तहसील भैयाथान, जिला सूरजपुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवेदक/आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु नजूल प्लाट नम्बर 3/80 रकबा 0.02 1/4 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा/आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 13/07/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांकः- 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/अ-24/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक जुगेश्वर भगत आ० तेजू राम जाति उरांव निवासी ग्राम कोलडीहा तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा ग्राम केशवपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 199/2 रकबा 0.021 हे0 भूमि को सडक रास्ता हेतु छ०ग०शासन के पक्ष में त्यजन किये जाने हेतु आवेदन पेश किया गया है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 06.07.2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 19/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०-/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सोमार साय आ. मच्छरी व अन्य, निवासी ग्राम ग्राम केराकछार, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा ग्राम केराकछार स्थित खसरा नंबर 112/2, 1/1, 1/4 रकबा क्रमशः 0.279, 0.433, 0.091 हे. भूमि के राजस्व रिकार्ड में हुये त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जॉच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 10/07/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा। आज दिनांकः- 16/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक हीरालाल गर्ग आ० स्व० बनवारी लाल अग्रवाल, निवासी वार्ड नंबर 35. राम मंदिर रोड अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ०ग०) द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम भगवानपुरखुर्द स्थित भूमि खसरा नंबर 343/3 रकबा 0.040 0.040 हे० भूमि को अपने पोते के विवाह हेतु रूपयों की आवश्यकता होने के कारण अनावेदक सतीश कुमार गर्ग आ० श्यामलाल, निवासी भैयाथान रोड सूरजपुर, तहसील सूरजपुर, जिला-सूरजपुर (छ०ग०) को रू0 15,00,000/- (पन्द्रह लाख रुपए) में विक्रय करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति या संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 22/07/2026 से पूर्व न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी।

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2, जिला-सरगुजा (छ०ग०)
रा०प्र०क्र०/ब-121/2025-26
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदिका गायत्री देवी पत्नी दुर्गा प्रसाद सिंह निवासी वार्ड नंबर 04, प्रायमरी विद्यालय के पास, जिगडी बलरामपुर (छ०ग०) के पति स्व० दुर्गा प्रसाद सिंह कि मृत्यु दिनांक 31/03/2025 को हो चुकी है। आवेदिका को अपने पति के द्वारा भारतीय स्टेट बैंक कलेक्ट्रेट ब्रांच अम्बिकापुर में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जमा राशि के भुगतान हेतु वारिसान प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिस कारण आवेदिका के द्वारा वारिसान प्रमाण-पत्र प्रदाय किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 20/07/2026 को न्यायालय में स्वंय अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । आज दिनांक 30/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी

अतिरिक्त तहसीलदार
अम्बिकापुर-2

न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील-डांडकरवा, तहसील-प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ०ग०)
ईस्तहार

सर्व साधारण को एतद द्वारा सुचित किया जाता है ग्राम पंचायत रेवटी, उप तहसील-डांडकरवा, तहसील प्रतापपुर, जिला सूरजपुर को सुचित किया जाता है कि आवेदक रविन्द्र पटेल आ० देवबिहारी, जाति कुनबी, निवासी ग्राम पंचायत- रेवटी द्वारा अपने माता रामपति पति देवबिहारी, जाति कुनबी के मृत्यु दिनांक 08.11.2025 को ग्राम पंचायत रेवटी घर पर मृत्यु होने पर आवेदिका द्वारा अपने माताजी का मृत्यु प्रमाण पत्र के रजिस्ट्रीकरण म०प्र० नियम 1973 नियम 10 (3) के अंतर्गत (आदेश) निर्देश देने हेतू शपथ पत्र, अनुलब्धता प्रमाण पत्र सहित आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसमें कार्यवाही प्रारभं दी गई है। जिस किसी व्यक्ति अथवा हितबद्ध पक्षकार को कोई आपति हो तो दिनांक 10.07.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त आक्षेप पर कोई विचार नही किया जावेगा। तत्पश्चात कार्यवाही कर दी जावेगी। यह उदघोषणा मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की पदमुद्रा से दिनांक 25.06.2026 को जारी किया गया है।

नायब तहसीलदार उप तहसील-डांडकरवा
प्रतापपुर, जिला-सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क ब/121 वर्ष
ग्रामःभैयाथान,प.ह.न 13
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अर्चना गुप्ता पति स्व.दिनेश गुप्ता जाति सौनडिक निवासी ग्राम भैयाथान प.ह.न-13 रा.नि.नं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्री रिधिमा गुप्ता का जन्म दिनांक 25/12/2010 को ग्राम भैयाथान में हुई है. अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्री रिधिमा का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत भैयाथान को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 15/07/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 01/07/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क ब/121 वर्ष
ग्रामःप.ह.न 15
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री राम राजवाड़े पिता साहेबा जाति रजवार निवासी ग्राम मसिरा प.ह.न.15 रा.नि.नं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पुत्र अनुराग का जन्म दिनांक 01/01/2013 को ग्राम मसिरा में हुई है. अज्ञानतावश जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पुत्र अनुराग का जन्म पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत मसिरा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 08/07/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 23/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

कार्यपालिक दंडाधिकारी
भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)
रा.प्र.क ब/121 वर्ष
ग्रामः केवरा प.ह.न 12
ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक, ज्ञानचंद पिता आ.विश्वनाथ जाति कोइरी निवासी ग्राम केवरा प.ह.न.12 रा.नि.नं. भैयाथान तहसील भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०) द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि आवेदक के पिता स्व.विश्वनाथ आ.भवरसाय का मृत्यु दिनांक 20/06/1985 को ग्राम केवरा में हुई है. अज्ञानतावश मृत्यु पंजीयन नहीं करा पाया है। आवेदक अपने पिता स्व.विश्वनाथ का मृत्यु पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत केवरा को आदेशित करने आवेदन पेश किया है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है। अतः उक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से पेशी दिनांक 05/07/26 तक अपना आपत्ति इस न्यायालय में पेश कर सकते हैं। नियत तिथी के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

आज दिनांक 24/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया ।

नायब तहसीलदार
भैयाथान जिला सूरजपुर (छ०ग०)

संचारी रोग नियंत्रण के लिए माहभर चलेगा विशेष अभियान

गोरखपुर। जनपद में संचारी रोगों की रोकथाम और जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेशव्यापी संचारी रोग नियंत्रण अभियान का बुधवार को नगर निगम गोरखपुर से विधिवत शुभारंभ किया गया। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, नगर आयुक्त अजय जैन एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर अभियान की शुरूआत की। इस दौरान उपस्थित नागरिकों को संचारी रोगों से बचाव की शपथ भी दिलाई गई। अभियान के तहत 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जिले में व्यापक स्तर पर साफ-सफाई, जागरूकता और रोग नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। जिलाधिकारी दीपक मीणा की देखरेख में चलने वाले इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ लगभग एक दर्जन विभागों की सक्रिय भागीदारी रहेगी। इसके अतिरिक्त 11 जुलाई से 31 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस के संयुक्त तत्वावधान में दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें घर-घर जाकर लोगों को बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाएगा। डेंगू और अन्य मच्छरजनित रोगों की रोकथाम के लिए विशेष रणनीति तैयार की गई है। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों, हॉस्टलों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया जाएगा। साथ ही एंटी लार्वल का छिड़काव कर मच्छरों के प्रजनन को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इसी क्रम में महानगर के हट्ठी माता स्थान के पास साफ-सफाई अभियान चलाकर एंटी लार्वल का छिड़काव किया गया। महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा कि गोरखपुर ने इंसेफेलाइटिस नियंत्रण के क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जो सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखें और अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं, ताकि डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। नगर आयुक्त अजय जैन ने बताया कि नगर निगम इस अभियान में पूरी तरह सक्रिय रहेगा। नालियों की नियमित सफाई, कूड़ा निस्तारण और एंटी लार्वल छिड़काव के साथ-साथ जनजागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर को स्वच्छ और रोगमुक्त बनाने के लिए हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश झा ने बताया कि संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के प्रभावी संचालन से ही जिले में जापानी इंसेफेलाइटिस (जेई) पर नियंत्रण पाया गया है।

कलेक्टर ने लिया दुलदुला में शिक्षा व्यवस्था का जायजा

छात्रावास-स्कूल का निरीक्षण, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई और स्वच्छता के सख्त आदेश

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। कलेक्टर रोहित व्यास ने आज दुलदुला विकासखंड का दौरा कर प्री-मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास तथा शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दुलदुला का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावासों एवं विद्यालय की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन करते हुए विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग संजय सिंह, एसडीएम कुनकुरी नंदजी पांडे, जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।

छात्रावास की व्यवस्थाओं का लिया जायजा

कलेक्टर ने छात्रावासों में बच्चों के रहने के कमरों, स्टोर रूम, स्टाफ की उपस्थिति, हाजिरी रजिस्टर एवं अन्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में नियमित साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पेयजल की समस्या सामने आने पर उसे शीघ्र दूर करने तथा बाथरूम एवं बच्चों के कमरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

अनुपस्थित विद्यार्थियों के पालकों से स्वयं की दूरभाष पर चर्चा

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्रावासों में विद्यार्थियों की उपस्थिति की समीक्षा की। उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लेने के बाद भी छात्रावास में आना शुरू नहीं किया था, उनके पालकों से कलेक्टर ने स्वयं दूरभाष पर संपर्क कर बच्चों को नियमित रूप से छात्रावास भेजने का आग्रह किया। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि शासन द्वारा बच्चों को बेहतर आवासीय एवं शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, इसलिए वे बच्चों की पढ़ाई बाधित न होने दें और उन्हें नियमित रूप से छात्रावास भेजें।

शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का भी किया निरीक्षण

छात्रावास निरीक्षण के बाद कलेक्टर रोहित व्यास ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल दुलदुला का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 12वीं में संचालित कक्षाओं का अवलोकन किया तथा विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बच्चों से विषयवार अध्ययन, शिक्षण व्यवस्था एवं नियमित उपस्थिति के बारे में पूछताछ की।

स्मार्ट टीवी बोर्ड का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश

विद्यालय निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षाओं में स्थापित स्मार्ट टीवी बोर्ड का अवलोकन किया। उन्होंने शिक्षकों को निर्देशित किया कि डिजिटल संसाधनों का नियमित एवं प्रभावी उपयोग करते हुए विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और रुचिकर शिक्षा प्रदान करें, ताकि बच्चों की सीखने की क्षमता और बेहतर हो सके।

प्रवेश लेने आए पालकों और विद्यार्थियों से भी की चर्चा

कलेक्टर ने विद्यालय में प्रवेश लेने आए पालकों एवं विद्यार्थियों से भी बातचीत की और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने की अपील की। निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि कुछ विद्यार्थियों ने प्रवेश तो ले लिया है, लेकिन विद्यालय आना शुरू नहीं किया है। इस पर कलेक्टर ने ऐसे विद्यार्थियों के पालकों से स्वयं दूरभाष पर संपर्क कर बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करना अभिभावकों और विद्यालय दोनों की साझा जिम्मेदारी है। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर रोहित व्यास ने कहा कि जिला प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित आवासीय वातावरण और सभी आवश्यक सुविधाएं समय पर उपलब्ध हों। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि छात्रावास एवं विद्यालय से जुड़ी सभी कमियों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि बच्चों की शिक्षा किसी भी स्तर पर प्रभावित न हो।

प्राकृतिक आपदा में प्रभावित परिजन हेतु 04 लाख की राशि स्वीकृत

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। अपर कलेक्टर ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि के एक मामले में प्रभावित परिजन को आर.बी.सी. 6-4 के तहत 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि की स्वीकृति दी है। जशपुर तहसील अंतर्गत ग्राम पैकू निवासी स्व. अंकित राम की कुआं के पानी में डूबने से 19 फरवरी 2024 को मृत्यु हो गई। मृतक के निकटतम वारिस उनके पिता विजय राम हेतु 04 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

मानवता, सेवा और संवेदना का जीवंत केंद्र है सोठी आश्रम: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने भारतीय कुष्ठ निवारक संघ आश्रम में सेवा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास कार्यों का किया अवलोकन

सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय आज जांजगीर-चांपा जिले के एक दिवसीय प्रवास के दौरान सोठी स्थित भारतीय कुष्ठ निवारक संघ आश्रम पहुँचे। आश्रम आगमन पर संस्था के पदाधिकारियों एवं आश्रमवासियों ने उनका आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने आश्रम प्रमुख सुधीर देव से संस्था की सेवा गतिविधियों, चिकित्सा सुविधाओं तथा पुनर्वास कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा आश्रम द्वारा किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि भारतीय कुष्ठ निवारक संघ आश्रम केवल एक सेवा संस्थान नहीं, बल्कि मानवता, करुणा और समर्पण का जीवंत केंद्र है। यहाँ वर्षों से समाज के उपेक्षित और जरूरतमंद लोगों की गरिमा के साथ सेवा की जा रही है, जो भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ सेवा ही नारायण सेवा के आदर्श को साकार करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थान समाज में संवेदनशीलता, सेवा और मानवीय मूल्यों को सुदृढ़ करने का

प्रेरणादायी कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर स्थित श्री सिद्धि विनायक मंदिर में विधि-विधान से पूजा-अर्चना एवं आरती कर प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने संस्था के संस्थापक स्वर्गीय सदाशिव गोविंद कात्रे के छायाचित्र पर दीप प्रज्ज्वलित कर श्रद्धासुमन अर्पित किए तथा उनके सेवा भाव को नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्रम के लिए नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि यह एम्बुलेंस आश्रमवासियों एवं जरूरतमंद मरीजों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री साय ने आश्रम परिसर का भ्रमण कर सेवा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन किया। उन्होंने आश्रमवासियों से आत्मीय भेंट कर उनका कुशलक्षेम जाना तथा उन्हें उपहार भी भेंट किए। इस दौरान उन्होंने गौशाला में गौमाता की पूजा-अर्चना कर हरा चारा अर्पित किया और गौसेवा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आश्रम परिसर स्थित संत गुरु घासीदास चिकित्सालय का निरीक्षण कर ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, बिलिंग कक्ष, एक्स-रे कक्ष, आईसीयू तथा ऑपरेशन थियेटर सहित विभिन्न इकाइयों में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सालय में उपचाररत मरीजों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करने पर बल दिया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने धनवंतरी जनकल्याण समिति सोसायटी, रायपुर द्वारा संचालित निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग इनिशिएटिव वाहन का भी अवलोकन किया। उन्होंने वाहन के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में पहुँचाई जा रही कैंसर जांच सेवाओं की जानकारी लेते हुए कहा कि समय पर जांच और उपचार गंभीर बीमारियों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है तथा ऐसी पहल जनस्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद श्रीमती कमलेश देवी जांगड़े, विधायक जगदलपुर किरण सिंह देव, छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के अध्यक्ष सौरभ सिंह, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के अध्यक्ष भोजराज देवांगन, आश्रम के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित थे।

कम लागत में ज्यादा मुनाफा देती हैं गेहूं की पैदावार

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को कृषि विभाग के योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। विभाग द्वारा कृषकों को उचित मार्गदर्शन और खरीफ के साथ-साथ रबी फसल की खेती से लाभान्वित होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ताकि किसानों को अच्छी आमदनी मिल सके। मनोरा विकासखण्ड ग्राम सोगड़ा निवासी कीना राम खरीफ फसल के साथ-साथ रबी फसल की खेती करके अतिरिक्त लाभ ले रहे हैं। कृषक कीना राम ने बताया कि कृषि विभाग मनोरा के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा रबी की खेती करने हेतु बताया गया एवं एनएफएसएनएम योजना अंतर्गत एक एकड़ भूमि हेतु अच्छी किस्म का गेंहू बीज अनुदान पर दिया गया। किसान ने बताया कि अच्छे से खेत की तैयारी कर उसमें अच्छी मात्रा में गोबर की खाद डालकर समय-समय पर सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन भी किया। गेंहू की फसल में किसी भी प्रकार की ज्यादा किड़े बिमारी की समस्या नहीं हुई होती और उत्पादन भी अच्छा मिलता है। किसान कीना ने बताया कि वह सीमांत किसान है उनके पास कुल 0.800 हे कृषि भूमि है। पहले खरीफ में सिर्फ धान की फसल लगाते थे। बाकि रबी में पड़ती छोड़ देता था जिससे चावल तो मिल जाता था परंतु अन्य खाद सामग्री जैसे गेंहूं मुझे खरीदना पड़ता था।

रबी फसल के लाभ

धान फसल के बाद गेंहू फसल की विक्रय से अच्छी आमदनी होता है चावल के साथ-साथ गेंहू से आंटा भी मिल जाती है, खाली समय व संसाधन का भी सदुपयोग, अच्छी व गुणवत्ता युक्त गेंहू प्राप्त होता है।

रबी में पड़ती का क्षेत्रफल हो जाता है समाप्त

कृषक कीना राम ने सभी किसान भाईयों को खरीफ फसल के साथ साथ रबी फसल की खेती करने एवं रबी में दलहन तिलहन की भी खेती करने की अपील की है, ताकि कम समय व कम लागत में अच्छी आमदनी प्राप्त कर सके एवं अपने लिये भी आवश्यक खाद्य सामग्री की पूर्ति कर सके। उन्होंने रबी फसल की खेती के मार्गदर्शन के लिए कृषि विभाग और छत्तीसगढ़ शासन को दिया धन्यवाद।

केंद्रीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश से शुरू किया रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन, जिलों में जन सम्मेलन

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के मुक्कारावारिपल्ले ग्राम से विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन (वीबी-जी राम जी) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जशपुर जिला पंचायत सभागार में जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक श्रीमती गोमती साय उपस्थित रहीं। विशिष्ट अतिथियों में जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अरविंद भगत तथा जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव शामिल हुए।

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तिरुपति जिले में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना लागू हो रही है। इसका उद्देश्य है कि देश का कोई भी गरीब काम के अभाव में बेरोजगार न रहे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि योजना से जहां ग्रामीण मजदूरों को 125 दिनों का रोजगार मिलेगा, वहीं गांवों में विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। चौहान ने कहा कि मजदूरों के पसीने का सम्मान हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

आदिवासियों के हक की रक्षा के लिए आयोग प्रतिबद्ध-डॉ. आशा लकड़ा

समुदाय प्रमुखों की बैठक मे बोलीं-हर वैध मामले का होगा निपटारा

छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन

जशपुरनगर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जनजातीय समुदाय के प्रतिनिधियों एवं समाज प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ. लकड़ा ने जनजातीय समाज के प्रतिनिधियों से उनकी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें विस्तार से सुनीं। उन्होंने आश्वस्त किया कि सभी वैध मामलों का नियमानुसार निराकरण कराया जाएगा। बैठक में विधायक श्रीमती गोमती साय एवं श्रीमती रायमुनी भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय और छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंभूनाथ चक्रवर्ती मौजूद रहे। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों को न्याय दिलाना, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना तथा उनके हितों का संरक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि इसी उद्देश्य से आयोग छत्तीसगढ़ प्रवास पर है, जिसके तहत जनजातीय क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति का आकलन कर स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि आयोग केवल शिकायतें सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि जिला प्रशासन के साथ बैठक कर जनजातीय क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा भी करता है। जिन समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर संभव नहीं हो पाता, उन्हें संबंधित विभागों तक पहुंचाकर न्याय दिलाने का प्रयास किया जाता है। डॉ. लकड़ा ने अपने संबोधन में आदिवासी जननायकों के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान का उल्लेख करते किया। विशेष रूप से हूल क्रांति के अमर सेनानियों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव के संघर्ष को याद करते हुए उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासन को झुकना पड़ा और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट (एसपीटी एक्ट) लागू करना पड़ा, जिसने जनजातीय भूमि की सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। डॉ. लकड़ा ने कहा कि यदि किसी गांव में सड़क, बिजली, पेयजल, विद्यालय, शिक्षक, आंगनबाड़ी जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है अथवा किसी व्यक्ति के साथ अन्याय, शोषण, जातिसूचक टिप्पणी या अनुसूचित जनजाति अत्याचार से जुड़े मामले सामने आते हैं, तो आयोग ऐसे सभी मामलों की सुनवाई कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करता है। उन्होंने कहा कि जनजातीय अधिकारों, विकास योजनाओं और सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए आयोग पूरी गंभीरता से कार्य करता है। डॉ. लकड़ा ने बताया कि देश में लगभग 12 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं तथा 725 से अधिक जनजातीय समुदाय हैं। इनके अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। उन्होंने कहा कि यह आयोग संविधान के अनुच्छेद 338 (क) के तहत गठित एक संवैधानिक निकाय है, जिसे अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षणों के क्रियान्वयन की निगरानी तथा उनसे संबंधित शिकायतों की जांच का अधिकार प्राप्त है। उन्होंने बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करता है तथा सरकार को आवश्यक सुझाव भी देता है। प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल से जल योजना, धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान,

जनमन योजना तथा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन

(वीबी-जी राम जी) जैसी योजनाओं का लाभ जनजातीय क्षेत्रों तक प्रभावी रूप से पहुंचे, इसके लिए आयोग लगातार कार्य कर रहा है। डॉ. लकड़ा ने कहा कि संविधान के तहत किसी मामले की जांच के दौरान आयोग को दीवानी न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त हैं। उन्होंने बताया कि आयोग किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर उपस्थित होने के निर्देश दे सकता है, सार्वजनिक दस्तावेज तलब कर सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित अधिकारियों को भी आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए निर्देशित कर सकता है। उन्होंने बताया कि आयोग की अनुशंसाएं संबंधित विभागों की कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती हैं। इसलिए जनसुनवाई के दौरान प्राप्त प्रत्येक शिकायत एवं सुझाव का विधिवत दस्तावेजीकरण कर उस पर गंभीरतापूर्वक कार्रवाई की जाती है।

डॉ. आशा लकड़ा ने जनजातीय समुदाय से अपनी समस्याएं एवं शिकायतें लिखित रूप में प्रस्तुत करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि आयोग की वेबसाइट के माध्यम से भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को डायरी नंबर जारी किया जाता है, जिसके आधार पर आयोग प्रकरण की सुनवाई करता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन आवेदन करते समय पूरा पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज करना आवश्यक है। बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कंसल्टेंट एच.आर.मीणा एवं जे.पी. सिंह, सीनियर इन्वेस्टिगेटर सोनल राज, आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त संजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

2 जुलाई को जिले में 123.3 मिमी औसत वर्षा

जशपुरनगर। जिले में 01 जून से 02 जुलाई तक 1042.3 मिमी औसत वर्षा हो चुकी है। जिले में बीते 10 वर्षों की तुलना में 02 जुलाई तक सामान्य औसत वर्षा 1980.1 मिमी हुई है। जिले में अब तक सामान्य का 52.6 प्रतिशत वर्षा दर्ज की गई है। बीते दिवस जिले में 123.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 जून से अब तक तहसीलवार वर्षा इस प्रकार हैरू तहसील जशपुर में 107.7 मिमी, मनोरा में 196.1 मिमी, कुनकुरी में 119.5 मिमी, दुलदुला में 62.4 मिमी, फरसाबहार में 55.0 मिमी, बगीचा में 74.1 मिमी, कांसाबेल में 87.1 मिमी, पत्थलगांव में 88.9 मिमी, सन्ना में 203.5 मिमी एवं बागबहार में 48.0 मिमी वर्षा हो चुकी है। सर्वाधिक वर्षा सन्ना तहसील में 203.5 मिमी दर्ज की गई है। 02 जुलाई को सर्वाधिक मनोरा तहसील में 31.8 मिमी वर्षा हुई।

गुमशुदा बालक के संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित

बलरामपुर, छ.ग. फ्रंटलाइन। महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा गुमशुदा बालक दिनेश के संबंध में दावा-आपत्ति आमंत्रित किया गया है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने जानकारी दी है कि बालक दिनेश, पिता सुरज एवं माता चांदनी, निवासी डेरा गांव (बालक के बताए अनुसार) को 25 जून 2026 को जिला बाल संरक्षण इकाई, चाईल्ड हेल्पलाइन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई के तहत थाना त्रिकुंडा क्षेत्र अंतर्गत सुलसुली से प्राप्त किया गया था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त बालक को किसी अन्य परिवार द्वारा रायबरेली से अंबिकापुर जाने वाली ट्रेन में लगभग एक माह पूर्व पाया गया था। वर्तमान में बालक को बाल कल्याण समिति, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत दत्तक ग्रहण एजेंसी, जशपुर में संरक्षण एवं देखरेख हेतु रखा गया है।

जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने आमजनों से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त बालक के संबंध में कोई जानकारी हो अथवा कोई दावा-आपत्ति प्रस्तुत करनी हो, तो वह कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी (जिला बाल संरक्षण इकाई), महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज में इस 30 दिवस के भीतर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

नौ दिन का आंदोलन, 6 माह इंतजार, फिर भी अंधेरे में 17 गांव

गांवों में बिजली पहुंचाने का दिया गया था आश्वासन, ठगा महसूस कर रहे ग्रामीण

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर/चांदनी बिहरपुर। जिले के दूरस्थ वनांचल चांदनी बिहरपुर क्षेत्र के 17 गांव आज भी बिजली की रोशनी का इंतजार कर रहे हैं। करीब 6 माह पूर्व कड़ाके की ठंड के दौरान बिजली की मांग को लेकर बिहरपुर तहसील प्रांगण में लगातार नौ दिनों तक ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया गया था। इस दौरान जिला प्रशासन ने महुली, कोल्हूआ, कछवारी, खैरा, चोगा, कछिया और नवडीहा तक विद्युत लाइन विस्तार कर बिजली उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था, जबकि पहाड़ी एवं वन क्षेत्र के अन्य गांवों में क्रेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई थी। आश्वासन को छः माह बीत जाने के बाद भी न तो विद्युत लाइन विस्तार का कार्य शुरू हुआ और न ही सौर ऊर्जा व्यवस्था को पुनर्जीवित किया गया। ठंड बीत गई, भीषण गर्मी भी समाप्त हो गई और अब बरसात का मौसम शुरू हो चुका है, लेकिन क्षेत्र के हजारों लोग आज भी अंधेरे में जीवन बिताने को मजबूर हैं।

ग्रामीणों के अनुसार चांदनी बिहरपुर क्षेत्र के इन 17 गांवों में करीब 12 हजार से अधिक लोग निवास करते हैं। बिजली नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई, मरीजों की देखभाल, घरेलू कार्य और रात में आवागमन जैसी सामान्य जरूरतें भी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। बरसात के मौसम में जहरीले सांप-बिच्छू तथा जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाने से लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।

हाड़ कपाऊ ठंड में 9 दिन तक चला था आंदोलन

बिजली की मांग को लेकर सैकड़ों महिला-पुरुष, बुजुर्ग और युवा बिहरपुर तहसील मैदान में लगातार नौ दिनों तक धरने पर बैठे रहे। कड़ाके की ठंड के बावजूद आंदोलन जारी रहा। इस दौरान कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी थी, जबकि विरोध स्वरूप कुछ ग्रामीणों ने मुंडन कराकर भी अपना आक्रोश जताया। नौवें दिन नींद से जागे जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराने का आश्वासन दिया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हुआ। आंदोलन के दौरान प्रशासन ने महुली, कोल्हूआ, कछवारी, खैरा, चोगा, कछिया और नवडीहा तक विद्युत लाइन विस्तार का भरोसा दिया था। वहीं इन गांवों से आगे स्थित पहाड़ी एवं वन क्षेत्र के गांवों में क्रेडा के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित बिजली व्यवस्था विकसित करने की बात कही गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों ही योजनाएं आज तक धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं।

दो दर्जन से अधिक सोलर पावर प्लांट दो वर्षों से बंद

ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में क्रेडा द्वारा वर्षों पहले लगाए गए दो दर्जन से अधिक सोलर पावर प्लांट, होम लाइट और इनवर्टर पिछले लगभग दो वर्षों से पूरी तरह बंद पड़े हैं। अधिकांश बैटरियां खराब हो चुकी हैं, इनवर्टर जवाब दे चुके हैं और रखरखाव के अभाव में सोलर सिस्टम अनुपयोगी हो गए हैं। कई गांवों में सोलर प्लांट केवल ढांचा बनकर रह गए हैं और ग्रामीण फिर से लालटेन और अन्य वैकल्पिक साधनों पर निर्भर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी संबंधित अधिकारियों से जानकारी ली जाती है तो केवल प्रक्रिया जारी है कहकर जवाब दिया जाता है। लेकिन महीनों बाद भी किसी प्रकार का कार्य शुरू हुआ। इससे लोगों में निराशा और नाराजगी लगातार बढ़ रही है। बिजली नहीं होने से बरसात के मौसम में ग्रामीणों को सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ रही है। रात के समय जहरीले जीव-जंतुओं और जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मरीजों को रात में इलाज और आपातकालीन परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क और संचार व्यवस्था भी बिजली के अभाव में प्रभावित होती है।

जिला प्रशासन से राहत की मांग

ग्रामीणों ने कलेक्टर तथा छत्तीसगढ़ शासन से मांग की है कि आंदोलन के दौरान किए गए वादे को तत्काल पूरा किया जाए। साथ ही वनांचल के अन्य गांवों में क्रेडा के माध्यम से नई सौर ऊर्जा व्यवस्था स्थापित की जाए तथा वर्षों से बंद पड़े सोलर पावर प्लांट, होम लाइट और इनवर्टर की मरम्मत या प्रतिस्थापन कराया जाए।

ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही काम शुरू नहीं हुआ तो वे फिर से लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। उनका कहना है कि 6 माह पूर्व मिला आश्वासन आज भी अधूरा है और 17 गांवों के हजारों लोग अब भी बिजली की रोशनी का इंतजार कर रहे हैं।

गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सुनिश्चित करें निर्माण कार्य : कलेक्टर

निर्माण कार्यों की प्रगति पर कलेक्टर ने की विभागवार समीक्षा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। यहां कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील की अध्यक्षता में सर्व निर्माण विभागों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्टर ने विभागवार निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले में संचालित सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर, गुणवत्ता मानकों का पालन करते हुए पूर्ण किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधूरे स्कूल भवनों सहित अन्य निर्माणाधीन कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की और संबंधित विभागों को कार्यों में तत्काल तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों की स्वीकृति और प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए, ताकि आमजन को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।बैठक में नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता शुल्क एवं राजस्व वसूली की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने वसूली कार्य में विशेष गंभीरता लाने तथा स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल यूनिट, निर्माणाधीन आंगनबाड़ी भवन, पीएम स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना, धन्वंतरि जेनेरिक मेडिकल, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा अधोसंरचना मद अंतर्गत संचालित कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अमृत मिशन, सिंगल यूज प्लास्टिक नियंत्रण तथा आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत छात्रावास भवनों की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, विद्युत विभाग, गृह निर्माण मंडल, जल संसाधन विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों को निर्माण कार्यों में गति लाने, नियमित मॉनिटरिंग करने तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर कलेक्टर जगन्नाथ वर्मा सहित सम्बंधित विभाग के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

पॉलिटेक्निक के निर्माणाधीन भवन का कलेक्टर ने किया औचक निरीक्षण

कार्य की धीमी गति पर नाराज कलेक्टर ने तेजी लाने के दिए निर्देश

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। गुरुवार को कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने यहां के शासकीय पॉलिटेक्निक के निर्माणाधीन भवन का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का उद्देश्य निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति एवं गुणवत्ता की समीक्षा करना था। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने निर्माण कार्य की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण कार्य नियत समय-सीमा के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए, ताकि छात्रों को शीघ्र ही नए भवन का लाभ मिल सके। इस दौरान पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता ललित भोई, एसडीओ एस.के. मिश्रा एवं पॉलिटेक्निक के प्रभारी प्राचार्य विवेक कुमार मेहता उपस्थित रहे। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण में स्पष्ट से निर्देश है कि पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण कार्य समय सीमा पर पूर्ण हो ताकि छात्रों को शीघ्र ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके।

उत्कर्ष योजना के तहत 5 जुलाई को होगी प्रवेश परीक्षा

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना' के अंतर्गत राज्य की उत्कृष्ट एवं प्रतिष्ठित शालाओं में कक्षा 6वीं में प्रवेश दिलाने हेतु परीक्षा का आयोजन 5 जुलाई को किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सूरजपुर स्थित परीक्षा केंद्र में आयोजित होगी। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि त्रुटिवश अथवा अन्य किसी कारण से प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले किसी छात्र-छात्रा को प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हो पाता है, तो वे अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ परीक्षा केंद्र में परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा पूर्व उपस्थित होकर केंद्राध्यक्ष से संपर्क कर प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास को नई गति देने वाली महत्वपूर्ण पहल विकसित भारत-जी रामजी योजना : लक्ष्मी

प्रतिनिधि छ.ग. फ्रंटलाइन

सूरजपुर। विकसित भारत-जी रामजी योजना के जिला स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन यहां के ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर ऑडिटोरियम में योजना से संबंधित प्रदर्शनी का अवलोकन भी अतिथियों द्वारा किया गया, जहां अधिकारियों ने योजना के विभिन्न प्रावधानों, उद्देश्यों एवं क्रियान्वयन व्यवस्था की जानकारी दी। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े वर्चुअल माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुईं। कार्यक्रम में वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा, विधायक भूलन सिंह मरावी, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती चंद्रमणि पैकरा, उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजलाल राजवाड़े, जनपद अध्यक्ष श्रीमती स्वाति सिंह, भीमसेन अग्रवाल, बाबूलाल अग्रवाल, रजनी रविशंकर त्रिपाठी व अन्य जनप्रतिनिधिगण, कलेक्टर श्रीमती रेना जमील, डीएफओ डी.पी. साहू, अधिकारी कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और अधिकारी कर्मचारियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का वर्चुअल उद्बोधन सुना।

ऑडिटोरियम में हुआ योजना का जिला स्तरीय शुभारंभ

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि विकसित भारत-जी रामजी योजना ग्रामीण विकास को नई गति देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आजीविका संवर्धन तथा आधारभूत विकास को मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण एवं जनभागीदारी को विकसित भारत के निर्माण का आधार बताते हुए सभी से इस अभियान में सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

बढ़ेंगे रोजगार के अवसर : रेना जमील

कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने कहा कि योजना के अंतर्गत शासन द्वारा पात्र ग्रामीण परिवारों को अब 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि ग्रामसभा के माध्यम से कार्यों का अनुमोदन किए जाने से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी तथा गांवों के समग्र विकास को नई दिशा प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि विकसित भारत-जी रामजी योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, सिंचाई, ग्रामीण अधोसंरचना, वृक्षारोपण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, कृषि आधारित कार्य एवं टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ-साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण भी सुनिश्चित होगा।

योजना बनेगी गांवों के समग्र विकास का प्रभावी माध्यम : शकुंतला

प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते ने कहा कि विकसित भारत-जी रामजी योजना गांवों के समग्र एवं सतत विकास का प्रभावी माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों की सहभागिता से प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मरावी ने योजना के अंतर्गत रोजगार अवधि बढ़ाकर 125 दिवस किए जाने का स्वागत करते हुए ग्राम पंचायतों से स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकासोन्मुख कार्ययोजनाएं तैयार करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर उन्होंने जिला ऑडिटोरियम के मरम्मत एवं संधारण कार्य के लिए विधायक निधि से 20 लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा भी की। वन विकास निगम के अध्यक्ष रामसेवक पैकरा ने ग्रामसभा आधारित कार्ययोजना, पारदर्शी कार्यप्रणाली एवं व्यापक वृक्षारोपण को जनआंदोलन का स्वरूप देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जनसहभागिता के माध्यम से ही ग्रामीण विकास के स्थायी परिणाम सुनिश्चित किए जा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत-जी रामजी योजना तथा 'मोर गांव, मोर पानी' अभियान पर आधारित प्रेरणादायी लघु फिल्मों का प्रदर्शन किया गया।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आम नागरिकों ने नशा मुक्त भारत एवं बाल विवाह उन्मूलन के लिए सामूहिक शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम में मनरेगा के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजेंद्र सिंह पाटले ने आभार व्यक्त किया।

न्यायालय तहसीलदार अम्बिकापुर
जिला–सरगुजा (छ.ग.)
रा०प्र०क्र० / ब–121 / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामरतन आ. पण्डरू, निवासी ग्राम मेण्ड्राकला, तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग. के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदक के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम मेण्ड्राकला स्थित खसरा नंबर 451 / 10 रकबा 0.162 हे. भूमि के राजस्व अभिलेख में त्रुटिवश रकबा 0.162 हे. के स्थान पर रकबा 0.112 हे. अंकित हो गया है। आवेदक द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार किये जाने हेतु आवेदन पत्र अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अम्बिकापुर के समक्ष में प्रस्तुत किया गया है, जो जाँच प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनाक 10 / 07 / 2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिषाक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा–आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय–सीमा के बाद प्राप्त दावा–आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 08 / 06 / 2026 को मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालीन पर्वमुद्रा से जारी।

तहसीलदार
अम्बिकापुर सरगुजा

न्यायालय नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ.ग.
रा०प्र०क्र० / 20(1) / 2025–26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक / आवेदिका गंगाधर मुखर्जी आ० / पति स्व० श्रीनाथ मुखर्जी जाति, निवासी जेल रोड़ बाबूपारा, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ०ग० के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि मोहल्ला–बाबूपारा, शीट नम्बर–9 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 3457 / 2 रकबा 0.06 एकड़ भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण आवे. दक / आवेदिका द्वारा लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 13.07.2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेंगा।

आज दिनांक 24.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी।

नजूल अधिकारी
अम्बिकापुर

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग सूरजपुर (छ.ग.)

निविदा आमंत्रण सूचना (प्रथम आमंत्रण)

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि :– 10.07.2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदायें प्राप्त करने की अंतिम तिथि :– 16.07.2026 अपरान्ह 5.30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि :– 17.07.2026 पूर्वान्ह 11.30 बजे से

एन.आई.टी. क्र. / निविदा क्र.	कार्य नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख में) / अमानत राशि (रू. में) / बैक साल्वेंसी (रू.में) कार्य पूर्णता हेतु अवधि
04 T0012	सखी वन स्टेप सेन्टर भवन सूरजपुर के सामने शेड बाथरूम एवं बाउण्ड्रीवॉल में फेसिंग का कार्य (प्रथम आमंत्रण)	8.12 / 6090.00 / 121800.00 04 माह (वर्षा ऋतु सहित)
04 T0013	जिला सूरजपुर के पी.डब्ल्यु.डी. मार्ग से कैलाशपुर पटपरियापारा असनापारा जुनापारा होते हुए बिशुनपुर तक मार्ग में रोड फर्निचर एवं रोड सेफ्टी आईटम प्रोवाईडिंग फिक्सिंग कार्य (प्रथम आमंत्रण)	8.53 / 6398.00 / 127950.00 01 माह (वर्षा ऋतु सहित)
04 T0014	जिला सरूजपुर के छठघाट सरस्वतीपुर से रामनगर तक सड़क में रोड फर्निचर एवं रोड सेफ्टी आईटम प्रोवाईडिंग फिक्सिंग कार्य (द्वितीय आमंत्रण)	4.40 / 3300.00 / 66000.00 01 माह (वर्षा ऋतु सहित)
05 T0015	Special Repair for fixing in position km stone, hetometere stone, 5th km stone under PWD sub division Surajpur and Sub division Premnagar (प्रथम आमंत्रण)	8.21 / 6158.00 / 123150.00 02 माह (वर्षा ऋतु सहित)

*Special Condition for T0013 and T0014 (Special Clause Issued By Deputy Secretary Govt. of Chhattisgarh Public Works Department, Raipur vide Memo no. 21-5/T/19/2012/Tender Naya Raipur Dated 15.10.2020) Special Condition For SOR Item No. 8.4, 8.5 & 8.13 Applicable.)

नियम व शर्तें :
ई–पंजीयन के अंतर्गत श्रेणी "द" से "अ" में पंजीकृत ठेकेदार निविदा में भाग ले सकेंगे, निविदा प्रपत्र की कीमत 750.00 प्रति निविदा फार्म है, निविदा संबंधी अन्य शर्तें विभागीय वेबसाईट www.cg.nic.in/pwdraipur में Live Tender के अंतर्गत निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है। इनका अवलोकन संबंधित संभागीय संभागीय कार्यालय में किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियन्ता
लोक निर्माण विभाग (भ/स)
संभाग सूरजपुर

जी–262701800/1

संपर्क करें
समाचार, ईश्तहार, विज्ञापन हेतु संपर्क करें।
दैनिक छत्तीसगढ़ फ्रंटलाइन
गौरव पथ, गुरूद्वारा के पास बाबूपारा अम्बिकापुर
मो. 7566950555
9713108088

सरगुजा फ्रंटलाइन

सत्तादल और इनके समर्थकों से जुड़े 3 मामलों में पुलिस की निष्क्रियता सामने आई

सोमवार को आक्रोश न्याय यात्रा निकालकर आईजी के पास पहुंचेंगे कांग्रेसी

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी ने गुरूवार को जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रेसवार्ता करके सत्तादल और उनके समर्थकों से जुड़े 3 बड़े मामलों में पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने 6 जुलाई, सोमवार को आक्रोश न्याय यात्रा निकालकर आईजी सरगुजा रेंज को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया है।

कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक व नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने वायरल हुए एक टेलिफोनिक ऑडियो का जिक्र करते हुये कहा कि इस ऑडियो में कलाकेन्द्र मैदान के आबंटन के नाम पर लाखों रुपये के लेनदेन की बात हो रही है। ऑडियो में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और महापौर मंजूषा भगत का आवाज सार्वजनिक सुनने को मिला है। 22 जून को महापौर ने इसे एआई जनरेटेड बताकर आजाक थाने में शिकायत दी थी, लेकिन आज तक न अपराध दर्ज हुआ, न प्रभावी विवेचना हुई। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने आजाक थाने के अधिकारी से मुलाकात करके महापौर के आवेदन पर हुई कार्रवाई की जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि, यह उनके अधिकार और कार्यक्षेत्र के बाहर का मामला है। कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने 22 जून को ही जिला कलेक्टर से मुलाकात करके एसआईटी का गठन करके जांच के लिये ज्ञापन दिया था। 28 जून को सरगुजा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी 3 दिन में एसआईटी गठन करने की मांग की गई थी, लेकिन आवेदन पर एक इंच भी कार्रवाई की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है।

कलेक्टर-एसपी का दरवाजा खटखटाना व्यर्थ गया

नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने शहर के प्रथम नागरिक के आवेदन पर कार्रवाई नहीं होने को सवालों के घेरे में लेते हुये कहा कि, टेलीफोन वार्ता के वायरल ऑडियो के मामले में हमने कलेक्टर, आजाक थाना और एसएसपी का दरवाजा खटखटाया है और एसआईटी की मांग की, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। ठीक ऐसी ही शिथिलता भिट्ठीकला जमीन घपले और सीतापुर विधायक के द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के आपसी मारपीट में दिखी है। इन मामलों पर उचित कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सोमवार, 6 जुलाई को न्याय की मांग को लेकर आईजी कार्यालय तक आक्रोश न्याय यात्रा निकलेगी और इन मामलों में एसआईटी गठन की मांग को लेकर आवेदन पत्र देंगे। इस दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राकेश गुप्ता, हेमंत सिन्हा, अनूप मेहता, राकेश सिंह सहित अन्य उपस्थित थे।

विधायक की गिरफ्तारी नहीं होना समझ से परे

शफी अहमद ने कहा कि, 27 मई को सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो पर नायब तहसीलदार तुषार मानिक से मारपीट का आरोप लगा। एसडीएम मौके पर मौजूद थे। मामले में सीतापुर थाने में मामला दर्ज किया गया। राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के बाद मामला शांत हुआ था। कांग्रेस का आरोप है कि बीएनएस की धाराएं लगने के बाद भी आज तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं हुई, और वे कई कार्यक्रमों में सार्वजनिक रूप से दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने 3 जून को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की मांग भी की थी, लेकिन सत्तादल और उनके प्रभावशाली अनुयायियों की संलिप्तता वाले मामलों में पुलिस का टाल-मटोल भरा रवैया सामने आ रहा है।

जमीन हड़पने के मामले में एफआईआर नहीं

शफी अहमद ने अंबिकापुर से लगे ग्राम भिट्ठीकला में एक विधवा की 3.14 एकड़ जमीन में से 24 डिसमिल का सौदा करके पूरी जमीन हड़पने के मामले को आड़े लेते हुये कहा कि, कलेक्टर ने तहसीलदार को दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे, पर आज तक मामले में अपराध दर्ज नहीं हुआ। आरोप है कि, क्रेता एक प्रभावशाली मंत्री के करीबी और सत्तादल के समर्थक हैं। एआईसीसी के सदस्य आदित्येश्वर शरण सिंहदेव ने पीड़ित महिला से मुलाकात की थी। 28 जून को एसएसपी से मिलने पर पता चला कि तहसीलदार ने अभी तक एफआइआर की पहल नहीं की है।

> यह आम जनमानस का मुद्दा है कि, नगर निगम में किस प्रकार भ्रष्टाचार हो रहा है। यह भी मुद्दा है कि महापौर के आवेदन पर कार्रवाई के बजाय पुलिस कर्तव्य विमुख बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार से सीतापुर विधायक और नायब तहसीलदार की मारपीट के मामले और भिट्ठीकला जमीन घोटाले में लीपापोती हो रही है। इन सभी मामलों में या तो सत्ताधारी दल के प्रमुख चेहरे या उनके बड़े समर्थक संलिप्त हैं।
>
> **बालकृष्ण पाठक**
> **अध्यक्ष, सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी**

युवक की सुनियोजित तरीके से हत्या और आत्महत्या का रूप देने का आरोप

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। सरगुजा जिले के लुण्ड्रा थाना अंतर्गत ग्राम चिलगा (नवापारा) में एक युवक की संदेहास्पद मौत के मामले में मृतक की मां और भाई ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन सौंपकर गांव के ही कुछ युवकों पर हत्या करने और लुण्ड्रा थाना प्रभारी पर आरोपियों से मिलकर मामले को आत्महत्या का रूप देने का गंभीर आरोप लगाया है। इनके द्वारा थाना प्रभारी को तत्काल निलंबित करने और मामले की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी या सी.बी.आई. से कराने की मांग की गई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि ग्राम चिरगा निवासी सूरजभान आ. किशुन राम को बीते 11 मई की सुबह करीब 6 बजे तेजू कुमार नामक युवक फोन करके बुलाया और 8 बजे उसके घर आकर अपने साथ ले गया। तेजू ने सूरजभान को बताया कि एक युवती और उसकी सहेली कुरोपहाड़ मंदिर में उसका इंतजार कर रही हैं। इसके बाद दोनों पैदल ही कुरोपहाड़ की तरफ निकल गए। आरोप है कि पुरानी रंजिश और अंतरजातीय प्रेम प्रसंग के चलते तेजू, युवती और उनके साथियों ने मिलकर सूरजभान की हत्या कर दी और शव को कुरोपहाड़ में झाड़ियों की तरफ छिपा दिया। परिजनों ने बताया कि जब भी वे सूरजभान के बारे में पूछताछ करते तो तेजू उन्हें गुमराह करता रहा। इस दौरान उसने पुलिस में शिकायत न करने का भी कई बार दबाव बनाया।

परिजनों के अनुसार बीते 16 मई को सूरजभान का शव बरामद हुआ, जिसके सिर, हाथ, पैर और कमर पर चोट के गंभीर निशान थे। पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया और एफ.आई.आर. भी दर्ज की गई, लेकिन पुलिस उन्हें कोई जानकारी नहीं दे रही है।

मृतक की मां फुलमतिया और भाई उदयभान ने आरोप लगाया है कि लुण्ड्रा थाना प्रभारी इस गंभीर हत्या के मामले को आपराधिक षड्यंत्र के तहत आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।

डिजिटल रूप से दक्ष कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत

कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को मोबाइल के माध्यम से मिला डिजिटल प्रशिक्षण

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। भारतीय जनता पार्टी सरगुजा के महामाया एवं समलाया मंडल द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कार्यशाला का आयोजन अंबिकापुर के माता राजमोहिनी भवन में संपन्न हुआ। कार्यशाला में प्रत्येक कार्यकर्ता प्रशिक्षार्थी के रूप में अपने मोबाइल के साथ उपस्थित हुआ। जिला डिजिटल प्रशिक्षक मयंक जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरल ऐप पर उपलब्ध प्रशिक्षण का व्यावहारिक अभ्यास कराते हुए कोर्स पूर्ण कराया तथा संगठनात्मक कार्यों में डिजिटल तकनीक के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि आज के दौर में तकनीक संगठन की सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। डिजिटल रूप से दक्ष कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताक़त हैं, प्रत्येक कार्यकर्ता यदि डिजिटल रूप से दक्ष होगा तो संगठन की योजनाओं, विचारों और जनकल्याणकारी कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाया जा सकेगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से डिजिटल माध्यमों का सकारात्मक एवं जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करने का आह्वान किया।

अम्बिकेश केशरी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचारों को डिजिटल माध्यमों के जरिए अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना समय की आवश्यकता है। ऐसे प्रशिक्षण संगठन को और अधिक सशक्त एवं आधुनिक बनाते हैं। सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी ने कहा कि भाजपा सदैव समय के अनुरूप स्वयं को विकसित करने वाला संगठन है। डिजिटल प्रशिक्षण से कार्यकर्ताओं की कार्यक्षमता बढ़ेगी और संगठनात्मक गतिविधियों में गति एवं पारदर्शिता आएगी। जिला महामंत्री अरुणा सिंह ने कहा कि डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म केवल एक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रत्येक कार्यकर्ता को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने का अभियान है। कार्यक्रम को जिला उपाध्यक्ष मधुसूदन शुक्ला, मंडल अध्यक्ष कमलेश तिवारी एवं मनोज कंसारी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन संजीव वर्मा ने किया तथा अभिषेक सिंह देव ने आभार व्यक्त किया। कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, मधु चौदाहा, आलोक दुबे, संतोष दास, अभिषेक शर्मा, रूपेश दुबे, नीलम राजवाड़े, प्रिया सिंह, निशांत सिंह सोलू, प्रियंका चौबे, सीमा कश्यप, गुंजन सिंह देव सहित बूथ अध्यक्ष, सचिव, मन की बात प्रभारी, व्हाट्सएप प्रभारी, बीएलए-2, पन्ना प्रमुख, महिला प्रमुख, युवा प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रभारी, संयोजक, सहसंयोजक एवं भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सशक्त गांव से साकार होगा विकसित भारत का सपना: राजेश अग्रवाल

वीबी जी राम जी योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय जन सम्मेलन का आयोजन

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के लिए जिला स्तरीय जन सम्मेलन सह शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ आंध्रप्रदेश राज्य के तिरुपति जिले से केन्द्रीय मंत्री ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का राष्ट्रीय स्तर पर किया गया।

कार्यक्रम में मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य गांव को समृद्ध बनाना, श्रम को सम्मान देना तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और आत्मनिर्भर भविष्य का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी लक्ष्य की मजबूत नींव हमारे गांव में रखी जाएगी, जब गांव सशक्त होंगे, तभी भारत विकसित होगा। पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि, भारत सरकार ने श्रमिकों के सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 1 जुलाई 2026 से मनरेगा श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 261 से 300 रुपये कर दी है। यह केवल मजदूरी में वृद्धि नहीं, बल्कि हमारे श्रमिक भाई-बहनों के परिश्रम, समर्पण और आत्म सम्मान का सम्मान है। अब हमारा लक्ष्य केवल अस्थायी कार्य नहीं, बल्कि ऐसे स्थायी एवं उपयोगी परियोजनाओं का निर्माण करना है, जो आने वाले हमारे पीढ़ियों के लिए भी लाभकारी हो। व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण, जल संरक्षण, खेत तालाब और सिंचाई सुविधा का विस्तार करना, ग्रामीण अधोसंरचना के निर्माण काम को प्राथमिकता देना है। इन कार्यों से रोजगार भी मिलेगा और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी होगा। उन्होंने कहा कि इसे केवल योजना न समझें, बल्कि अपने गांव के विकास का जन अभियान बनाएं। जब समाज और प्रशासन मिलकर कार्य करेंगे, तभी विकसित गांव और विकसित भारत का सपना साकार होगा। गांव सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा और प्रदेश सशक्त होगा तो हमारा देश सशक्त होगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष निरुपा सिंह ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने दिशा में वीबी जी राम जी योजना मील का पत्थर साबित होगी। योजना के तहत वे काम होंगे जिनकी उस गांव में आवश्यकता होगी। कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि योजना के माध्यम से हम ग्रामीण विकास के नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं, जिले स्तर पर इसकी बेहतर मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि लोगों को योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल द्वारा पीपीटी के माध्यम से योजना की विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर जिले में पूर्व में क्रियान्वित किए गए कार्यों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे अतिथियों एवं आमजनों द्वारा सराहा गया। योजना के हितग्राहियों ने मंच से पूर्व की योजना से प्राप्त लाभ एवं जीवन में आए सकारात्मक बदलावों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। अंत में नवाबांध की मुस्कान महिला समूह को नवा तरिया में मक्का की खेती हेतु बीज तथा 15 कृषकों को कृषि विभाग के सहयोग से अरहर के बीज वितरण किया गया। सम्मेलन में शामिल सभी को कटहल, मुनगा, जामुन, आम आदि के पौधे वितरित किये गये। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष देवनारायण यादव, जिला पंचायत सदस्य विजय अग्रवाल, पायल सिंह तोमर, राधा रवि, नानमणि पैकरा सहित जनपद सदस्य, सरपंच, सचिव एवं समूह की महिलाएं तथा ग्रामीण उपस्थित थे।

खरसिया रोड में बारिश के बीच गिरी गाज, ट्रक जलकर हुआ खाक

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। बुधवार को मानसून की पहली बारिश अंबिकापुर के लिए कहर बनकर आई, और खरसिया रोड में खड़ी एक ट्रक पर बिजली गिरने से उसमें भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक, बुधवार को अंबिकापुर में आकाशीय बिजली खरसिया रोड में अन्य वाहनों के साथ खड़ी एक डंपर पर अचानक गिरी, और देखते ही देखते ट्रक के केबिन और इंजन में आग भड़क उठी। आग की लपटें देखते ही देखते 10-15 फीट ऊंची उठने लगी और काला धुआं आसमान में फैल गया। आसपास हड़कंप की स्थिति बन गई। पास में खड़े अन्य वाहन आग की चपेट में न आयें इसका प्रयास शुरू हुआ। वहीं सूचना मिलते ही होमगार्ड के अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन डंफर वाहन बुरी तरह से जलकर खाक हो गया। इस घटना के सामने आने के बाद बारिश के दौरान खुले मैदान में वाहनों को खड़ा करना खतरनाक हो सकता है, इस पर वाहन स्वामियों को भी ध्यान देने की जरूरत है।

स्वामी आत्मानंद आदर्श महाविद्यालय में 15 अगस्त से बालिका छात्रावास होगा शुरू

कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान जिम्मेदार अधिकारियों को दिये सख्त निर्देश

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत ने गुरुवार को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय कुमार अग्रवाल के साथ अंबिकापुर के केशवपुर स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने बालिका छात्रावास भवन का अवलोकन करके अधिकारियों से विभिन्न निर्माण एवं मरम्मत कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि आगामी 15 अगस्त से छात्रावास का संचालन प्रारंभ किया जाना है। उन्होंने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन में आवश्यक मरम्मत सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं से संबंधित सभी कार्यों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र पूरा किया जाए। उन्होंने आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त को भी निर्देश दिया कि छात्रावास संचालन के लिए आवश्यक सामग्रियों हेतु तत्काल प्रस्ताव तैयार कर भेजें।

जवाहर नवोदय विद्यालय में खेल सुविधाओं का होगा विस्तार

निरीक्षण के क्रम में कलेक्टर अंम्बिकापुर के खलीबा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे। उन्होंने यहां उपलब्ध शैक्षणिक एवं आवासीय व्यवस्थाओं का जायजा लिया। विद्यालय परिसर का भ्रमण करते हुए विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, कंप्यूटर लैब, छात्रावास, मेस, रसोई सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने विद्यालय में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए बास्केटबॉल एवं बैडमिंटन कोर्ट तैयार करने आवश्यक प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित कर के निर्देश दिए।

प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षु पटवारियों से की मुलाकात

कलेक्टर ने पटवारी प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण करके वहां संचालित प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्रशिक्षु पटवारियों से मुलाकात कर प्रशिक्षण से जुड़े उनके अनुभवों की जानकारी ली तथा उन्हें पूरे लगन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कक्षा के साथ-साथ व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु फील्ड में भी जाकर प्रशिक्षण लेने कहा। संबंधित अधिकारियों से प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी लेते हुए प्रशिक्षणार्थियों को गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने कहा, जिससे वे भविष्य में राजस्व प्रशासन की जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।

विधानसभा के मानसून सत्र दौरान अवकाश प्रतिबंधित

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आहूत है। जिले में प्राप्त होने वाले विधानसभा प्रश्नों का उत्तर समय-सीमा में तैयार कर शासन स्तर में प्रेषित किया जाना आवश्यक है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा जारी आदेशानुसार जिले में पदस्थ समस्त शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है। विधानसभा सत्र दौरान समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करेंगे। अति आवश्यक कार्य, अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर जाने अथवा मुख्यालय छोड़ने की स्थिति में संबंधित कार्यालय के अधिकारी, कर्मचारियों के अवकाश की स्वीकृति कार्यालय प्रमुख के द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कार्यालय प्रमुख, विभाग प्रमुख कलेक्टर से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।

शिक्षा विभाग के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा आज

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शिक्षा विभाग के कार्यों एवं योजनाओं की समीक्षा हेतु जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक 3 जुलाई को अपरान्ह 2 बजे से राजीव गांधी शासकीय स्नात्कोत्तर महाविद्यालय अंबिकापुर के ऑडिटोरियम में आयोजित है। बैठक में सर्व संबंधितों से निर्धारित समय पर उपस्थित होने का आग्रह किया गया है।

सेवानिवृत्त 27 प्रचार्य, प्रधानपाठक एवं कर्मचारियों को मिला पीपीओ

छ.ग.फ्रंटलाइन अंबिकापुर। शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत सेवानिवृत होने वाले 27 प्राचार्य, प्रधानपाठक एवं कर्मचारियों को 01 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सभाकक्ष में पीपीओ जारी किया गया। इनमें सर्व प्राचार्य मो. साहिद अंसारी, अशोक कुमार वर्मा, संतोष कुमार श्रीवास्तव, छोटू एक्का, श्याम प्यारी बुनकर, प्रताप नारायण, नरेन्द्र अम्बष्ट, अरूण राय, ललन कुशवाहा, सर्व प्रधान पाठक ममता गुप्ता, शुभाशीष मुखर्जी, अलका अग्रवाल, अम्बिका प्रसाद सोनी, कृष्ण कुमार अचगले, देवलाल राम यादव, हबीबुर रहमान, कुलन राम पैकरा, लक्षन राम सिंह, लाल मोहर सिंह, मगदली तिग्गा, रामलाल प्रसाद, जगदीश सिंह, अनिल राम प्रजापति, तेजबहादुर सिंह, माया सिन्हा, देवनाथ रात एवं भृत्य तसउवर हुसैन को पेंशन भुगतान आदेश जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश झा ने प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की कामना की।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक- मनीष पाठक द्वारा स्पीड प्रिंटर्स व आफसेट पुराना पोस्ट ऑफीस रोड दर्रीपारा अम्बिकापुर पिन नं. 497001 (छत्तीसगढ़) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-रणविजय सिंह तोमर